मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग

विभाग द्वारा किए जा रहे सिंहस्थ कार्यों का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभाग के प्रमुख सचिव के साथ किया गया।

विभाग द्वारा किए जा रहे सिंहस्थ कार्यों का निरीक्षण माननीय सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अधिकारियों के साथ किया गया।

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
	भाग – एक	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	विभागीय संरचना–स्थापना संबंधी विवरण	1
1.3	परिक्षेत्र कार्यालय	1
1.4	जल परीक्षण प्रयोगशालायें	2
1.5	विभागीय उद्देश्य एवं कार्य	3
	भाग – दो	
2.1	बजट विहंगावलोकन	4
	भाग – तीन	
3.1	राज्य एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं	5
3.2	आदिवासी उपयोजना	17
3.3	अनुसूचित जाति उपयोजना	19
3.4	ग्रामीण नलजल/स्थलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन	19
3.5	एकीकृत कार्य क्षेत्र कार्यक्रम (आई.ए.पी.) जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था	23
3.6	पेयजल व्यवस्था की निगरानी	27
3.7	गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्त्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण	27
3.8	भू जल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम	30
3.9	विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण	35
3.10	प्रशिक्षण कार्यक्रम	37
3.11	विभागीय कम्प्यूटरीकरण की प्रगति	38
3.12	नगरीय पेयजल कार्यक्रम	41
	भाग – चार	
4.1	सामान्य प्रशासनिक विषय	45
4.2	सूचना का अधिकार	46
4.3	वर्ष 2015 में विधान सभा प्रश्नों आदि से संबंधित कार्यों का विवरण	47
	भाग– पाँच	
5.1	बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज	48
5.2	प्रदेश में 24x7 दिवस जलप्रदाय वाली ग्रामीण नलजल योजनाओं की सफलता की कहानी	48
5.3	सिंहस्थ 2016 में पेयजल व्यवस्था हेतु प्रस्तावित कार्यों का विवरण	52
6	राज्य जल सहायता संगठन	64
7	जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम	68
	भाग – छः	
6.1	विभागीय प्रकाशन से संबंधित जानकारी	72
	भाग – सात	
7.1	सारांश	72
8	मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित	73

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015—16

मंत्री

माननीय सुश्री कुसुम सिंह महदेले

मंत्रालय

●	**प्रमुख सचिव**	▶	**श्री अश्विनी कुमार राय**
●	उप सचिव (स्थापना)	▶	डॉ. अमिताभ अवस्थी
●	अवर सचिव (तकनीकी)	▶	श्री एन. के. वैद्य

विभागाध्यक्ष

●	**प्रमुख अभियंता**	▶	**श्री जी. एस. डामोर**
●	प्रमुख अभियंता (सलाहकार)	▶	श्री जी. एस. डामोर
●	संचालक (जल सहायता संगठन)	▶	श्री जी. एस. डामोर
●	मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र)	▶	श्री सी. एस. संकुले
●	मुख्य अभियंता (इंदौर परिक्षेत्र)	▶	श्री के. के. सोनगरिया
●	मुख्य अभियंता (ग्वालियर परिक्षेत्र)	▶	श्री आर. एस. ठाकुर (प्रभारी)
●	मुख्य अभियंता (जबलपुर परिक्षेत्र)	▶	श्री पी. के. मैदमवार (प्रभारी)
●	मुख्य अभियंता (वि./यां.) भोपाल	▶	श्री अशोक बघेल (प्रभारी)

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

●	**प्रबंध संचालक**	▶	**श्री अश्विनी कुमार राय**
●	मुख्य महाप्रबंधक	▶	श्री एन. पी. मालवीय

1. भाग – एक

1.1 प्रस्तावना :–

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार, शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों, शालाओं, आंगनवाड़ियों एवं गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन शासन की निर्धारित नीति/मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। विभाग में गतिवर्धित नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रम (20,000 से कम जनसंख्या) की कुछ जल प्रदाय योजनाओं के कार्य भी प्रगतिरत हैं।

1.2 विभागीय संरचना – स्थापना सम्बन्धी विवरण :–

÷ **शासन स्तरीय :–**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय में प्रमुख सचिव पदस्थ हैं। उनके अधीन तकनीकी शाखा में वर्तमान में अवर सचिव (तकनीकी) तथा स्थापना शाखा में एक उप सचिव कार्यरत हैं।

÷ **प्रमुख अभियन्ता कार्यालय :–**

विभागाध्यक्ष के रूप में मुख्यालय में प्रमुख अभियंता पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता (सलाहकार) भी मुख्यालय में पदस्थ हैं। विभाग में जल सहायता संगठन प्रकोष्ठ के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर का संचालक का एक पद स्वीकृत है। प्रदेश में 5 परिक्षेत्र (चार सिविल एवं एक विद्युत/यांत्रिकी) कार्यालय हैं, जो मुख्य अभियन्ताओं के अधीन हैं। विभाग में स्वीकृत विभिन्न पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

÷	मुख्य अभियन्ता (सिविल)	04 पद
÷	संचालक (जल सहायता संगठन)	01 पद
÷	मुख्य अभियन्ता (वि./यां.)	01 पद
÷	अधीक्षण यन्त्री (सिविल)	24 पद
÷	अधीक्षण यन्त्री (वि./यां.)	05 पद
÷	कार्यपालन यन्त्री (सिविल)	74 पद
÷	कार्यपालन यन्त्री (वि./यां.)	11 पद
÷	सहायक यन्त्री (सिविल)	241 पद
÷	सहायक यन्त्री (वि./यां.)	62 पद

1.3 परिक्षेत्र कार्यालय :–

विभाग की मैदानी स्थापना पांच परिक्षेत्रों में विभाजित है जिनमें चार सिविल कार्यों एवं एक वि./यां. कार्यों से संबंधित है। सिविल कार्य हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र मुख्य अभियंता (सिविल) के अधीन है, परिक्षेत्र मुख्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में स्थित हैं। सिविल कार्यों हेतु परिक्षेत्र भोपाल के अंतर्गत भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग, इंदौर परिक्षेत्र के अंतर्गत इंदौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग, ग्वालियर

परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर, चंबल तथा सागर राजस्व संभाग एवं जबलपुर परिक्षेत्र के अतंर्गत जबलपुर, रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग हैं। विभाग में एक मुख्य अभियन्ता (वि./यां) हैं जिनका मुख्यालय भोपाल है एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश है। विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा नलकूप खनन के कार्य इनके माध्यम से किये जाते हैं।

÷ **मंडल कार्यालय :–**

प्रदेश में संभाग स्तर पर 10 संभागों क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, चम्बल में एवं परियोजना मण्डल छिन्दवाड़ा सहित कुल 11 मंडल कार्यालय स्थापित हैं जिनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्य किये जाते हैं तथा अधीनस्थ खंडों एवं उपखंडों पर उनके द्वारा प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 2 परियोजना मंडल कार्यालय क्रमशः भोपाल एवं इंदौर में स्थापित हैं। प्रत्येक मंडल कार्यालय अधीक्षण यंत्री के अधीन हैं।

÷ **खंड कार्यालय :–**

मध्यप्रदेश के सभी 51 जिलों में सिविल खंड एवं 7 सम्भागीय मुख्यालयों क्रमशः भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर उज्जैन, सागर एवं रीवा पर 7 वि./यां. खण्ड स्थापित हैं। नर्मदा जलप्रदाय परियोजना इन्दौर के संधारण हेतु मंडलेश्वर में एक वि./यां. खण्ड नगर निगम इंदौर के अधीन कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 7 परियोजना खण्ड, 6 संधारण खण्ड, 1 गुणवता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल एवं 1 गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड सरदारपुर (धार) कार्यालय स्थापित हैं।

प्रदेश में कुल 204 उपखण्ड सिविल संकाय के एवं 45 जिलों में 47 वि./यां. उपखंड कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें जबलपुर एवं ग्वालियर जिले में एक–एक कर्मशाला उपखंड हैं। प्रत्येक उपखंड कार्यालय सहायक यंत्री के अधीन हैं। 6 जिलों क्रमशः दतिया, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, अलीराजपुर एवं आगर में वि./यां. उपखण्ड स्थापित नहीं हैं।

1.4 जल परीक्षण प्रयोगशालायें :–

राज्य स्तर :– प्रदेश में राज्य स्तर पर एक राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित है, जो मुख्य रसायनज्ञ/बायोलॉजिस्ट के अधीन, गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल के अंतर्गत कार्यरत् है।

जिला स्तर :– प्रत्येक जिले में एक – एक इस प्रकार कुल 51 जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित है, प्रयोगशालायें कार्यपालन यंत्री के नियंत्रण में कार्य करती है।

उपखण्ड स्तर :– प्रत्येक जिले में उपखण्ड स्तर पर एक–एक उपखण्ड स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित है, उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालायें सहायक यंत्री के नियंत्रण में कार्य करती है।

उपरोक्त समस्त प्रयोगशालाओं हेतु रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

पदनाम	नियमित स्थापना		कार्यभारित स्थापना		संविदा आधार पर	
	स्वीकृत	कार्यरत्	स्वीकृत	कार्यरत्	स्वीकृत	कार्यरत्
रसायनज्ञ	12	18	21	28	184	144
प्रयोगशाला सहायक	2	8	133	123	70	53

1.5 विभागीय उद्देश्य एवं कार्य :–

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. ग्रामीण बसाहटों में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल प्रदाय हेतु सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन।
2. ग्रामीण हैंडपंप योजनाओं का संधारण।
3. ग्रामों में राज्य शासन की नीति अनुसार नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन।
4. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।
5. आदिवासी आश्रम–छात्रावासों, आँगनवाड़ियों तथा ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था।
6. जल प्रदाय योजनाओं के स्त्रोतों के स्थायित्व हेतु भू–जल पुनर्भरण एवं संवर्धन योजनाओं तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं का क्रियान्वयन।
7. परम्परागत जलस्त्रोतों का जीर्णोद्धार कर पेयजल आपूर्ति हेतु उपयोगी बनाना।
8. पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता का अनुश्रवण व निगरानी।
9. सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन।
10. नगरीय निकायों द्वारा चाहे जाने पर, नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय एवं मल जल निकासी योजनाओं के सर्वेक्षण, अन्वेषण, योजना प्रतिवेदन तैयार करने व निक्षेप कार्य के रूप में योजनाओं का क्रियान्वयन।

बजट विहंगावलोकन :–

विगत तीन वर्षों की स्थिति निम्नानुसार है :–

- **राज्य आयोजना के अन्तर्गत** वर्ष 2013–14 के लिये विभाग की योजना सीमा रुपये 62680.00 लाख निर्धारित की गई। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के अन्तर्गत कुल रुपये 52838.71 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया जिसके विरुद्ध कुल रुपये 46845.83 लाख का व्यय किया गया।

  राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रुपये 60567.26 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया था जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध कुल रुपये 47629.27 लाख का व्यय किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 3174.15 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित) जिसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 1879.24 लाख व्यय किये गये।

- **राज्य आयोजना के अन्तर्गत** वर्ष 2014–15 के लिये विभाग की योजना सीमा रुपये 137789.03 लाख निर्धारित की गई थी। राज्य योजना आयोग द्वारा वर्ष 2014–15 की निर्धारित योजना सीमा के अन्तर्गत योजना/कार्यक्रमों के वित्तीय ढॉचे के अनुसार केन्द्रांश से प्राप्त होने वाली राशियों को सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद (राज्यांश) के अन्तर्गत रुपये 84456.83 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया, जिसके विरुद्ध कुल रुपये 74934.86 लाख (राज्यांश मद के अन्तर्गत) का व्यय किया गया। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रुपये 53332.20 लाख उपलब्ध कराये गये थे जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध कुल राशि रुपये 38116.67 लाख का व्यय किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 3474.27 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित) जिसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 1889.66 लाख व्यय किये गये।

- **राज्य आयोजना के अन्तर्गत** वर्ष 2015–16 के लिये राज्य योजना आयोग द्वारा विभाग की योजना सीमा रुपये 159496.82 लाख स्वीकृत की गई है, इसमें मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित हेतु रुपये 66154.69 लाख की राशि सम्मिलित है। राज्य योजना आयोग द्वारा वर्ष 2015–16 की निर्धारित योजना सीमा के अन्तर्गत योजना/कार्यक्रमों के वित्तीय ढॉचे के अनुसार केन्द्रांश से प्राप्त होने वाली राशियों को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा बजट में रुपये 59747.70 लाख का प्रावधान केन्द्रांश के लिये किया गया था तथा केन्द्र सरकार द्वारा माह जनवरी 2016 तक पेयजल व्यवस्था हेतु राशि रुपये 30131.67 लाख उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध कुल रुपये 26117.04 लाख व्यय किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 2816.46 लाख प्राप्त हुई जिसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 2062.29 लाख व्यय किये गये।

3. भाग – तीन

3.1 राज्य एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं :–

3.1.1 ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :–

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्ग दर्शिका के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि के समतुल्य राशि (50:50) राज्य शासन द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है।

भारत सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन द्वारा बसाहटों में पेयजल प्रदाय का स्तर हैण्डपम्प योजनाओं से जलप्रदाय हेतु 55 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन एवं नलजल योजनाओं के माध्यम 70 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन निर्धारित किया गया है।

प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं भू–गर्भीय जल स्त्रोतों (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित हैं। नवीन दिशा–निर्देशों के अनुरूप अब विभाग द्वारा अधिकाधिक मात्रा में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि नलजल योजनाओं से पेयजल प्रदाय के वर्तमान स्तर 30 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाया जा सके।

3.1.2 बसाहटों में जलप्रदाय व्यवस्था के मानदण्ड :–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका में लाभान्वित समुदाय को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह स्वयं के लिये जलप्रदाय का स्तर स्वयं निर्धारित कर सके, इस प्रावधान के अनुसार बसाहट को पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:–

(क) ऐसी बसाहटें जिनमें प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ख) प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 500 मीटर की परिधि में सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 30 मीटर की ऊँचाई या निचाई पर पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(घ) ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

3.1.3 बसाहटों में कार्य की प्राथमिकता :–

- **प्राथमिकताएं निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं :–**

1. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था।

2. ऐसी बसाहटें जिनमें जनसंख्या के मान से निर्धारित मापदण्डानुसार सुरक्षित पेयजल व्यवस्था नही है। (अनु.जाति/अनु.जनजाति बाहुल्य बसाहटों को प्राथमिकता)

3. 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय।

4. शासकीय भवनयुक्त ग्रामीण शालाओं/आँगनवाड़ियों में पेयजल की व्यवस्था।

5. आदिम जाति आश्रम/छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

3.1.4 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति :–

प्रदेश में विगत वर्षों में किये गये कार्यों के फलस्वरूप 15 जनवरी 2016 की स्थिति में कुल 127552 बसाहटों में से 108575 बसाहटें 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से पूर्णतः आच्छादित की श्रेणी में हैं एवं 18977 बसाहटें आंशिक पूर्ण श्रेणी में हैं, जिनमें 40 से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पेयजल उपलब्ध हैं, जिसमें जल गुणवत्ता से प्रभावित 233 बसाहटें सम्मिलित हैं। शासन की वर्तमान प्राथमिकता अनुसार पेयजल हेतु हैण्डपंपों पर निर्भरता कम करते हुए अधिकाधिक जनसंख्या को घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। अतः बसाहटों के आच्छादन हेतु नलकूप आधारित योजनाओं पर निर्भरता कम करते हुये नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

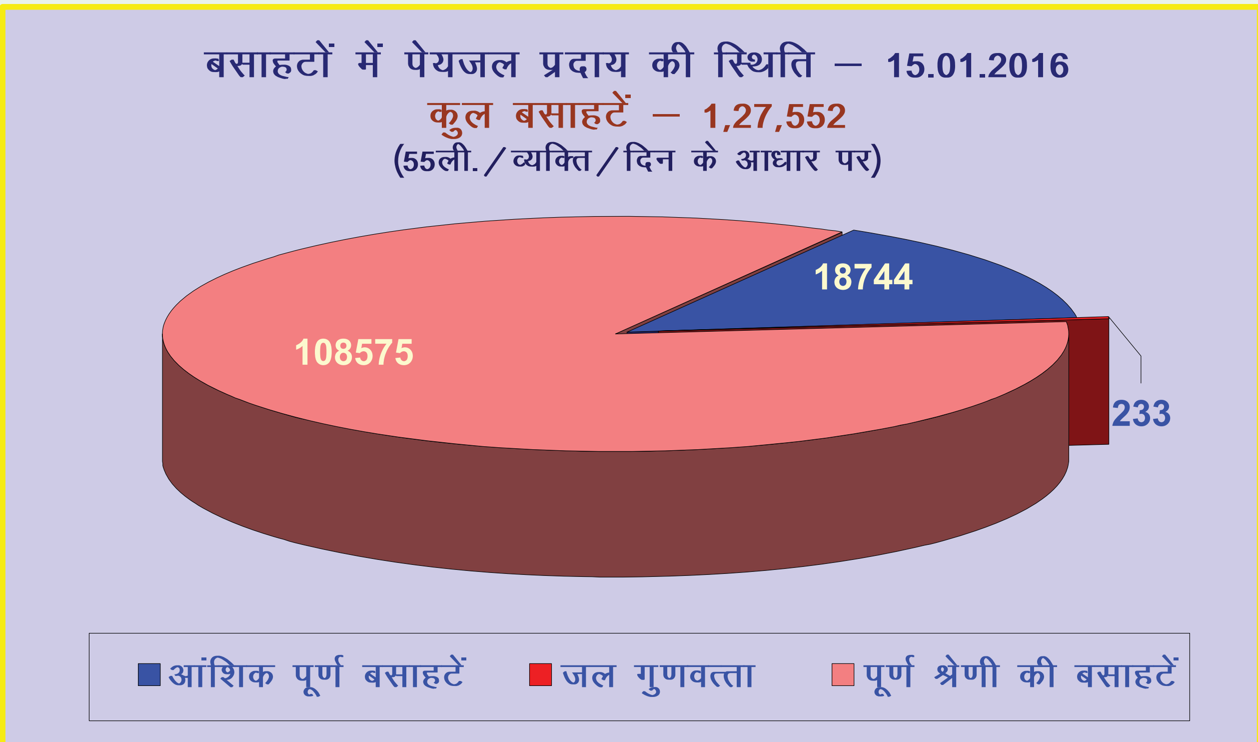

÷ **हैण्डपंप योजनाओं से आच्छादन :–**

वर्ष 2015–16 में कुल 7500 आंशिक पूर्ण बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित करने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 15 जनवरी 2016 तक कुल 7785 बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित किया गया है। शेष बसाहटों में कार्य निरंतरित है।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में हैण्डपंप आधारित योजनाओं से त्वरित स्वच्छ पेयजल व्यवस्था

÷ **नल जल योजनाओं से बसाहटों का आच्छादन :–**

वर्ष 2015–16 में नलजल योजनाओं के माध्यम से 2000 बसाहटों के आच्छादन के लक्ष्य विरुद्ध 15 जनवरी 2016 तक कुल 2062 बसाहटों/नलजल योजनाओं को पूर्णतः आच्छादित किया गया है। ोष बसाहटों/योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

नलजल योजनाओं के माध्यम से बसाहटों का आच्छादन। ग्राम नागझिरी, विकासखण्ड गोगांवा, जिला खरगोन में निर्मित उच्च स्तरीय टंकी, क्षमता 280 कि.ली., ऊँचाई 12 मीटर

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 एवं 2015–16 में पूर्ण की गइ बसाहटों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

बसाहटों में वर्षवार की गई पेयजल व्यवस्था

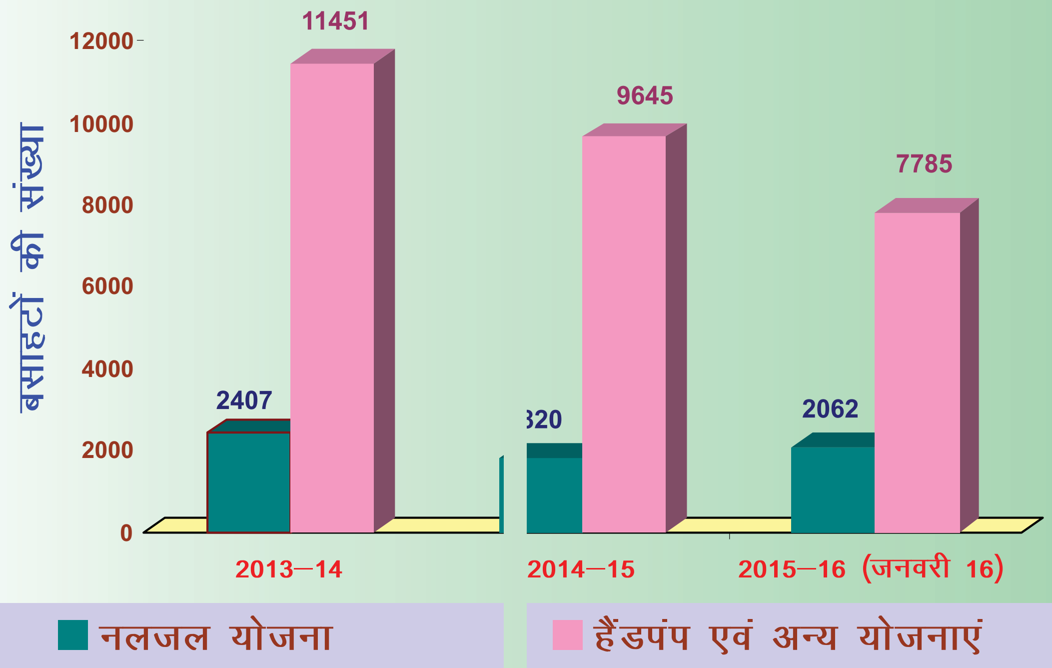

विकासखण्ड आठनेर, जिला बैतूल के 20 ग्रामो हेतु ताप्ती नदी आधारित धनोरा समूह नलजल योजना के अन्तर्गत जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण।

विकासखण्ड आठनेर, जिला बैतूल के 20 ग्रामों हेतु ताप्ती नदी आधारित धनोरा समूह नलजल योजना के अन्तर्गत जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण

3.1.5 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में कार्य :–

प्रदेश के कुछ जिलों के पेयजल स्रोतों में रसायनिक तत्वों की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक पाई गई है। इनमें फ्लोराईड व लौह तत्व हैं। कुछ जिलों के पेयजल स्रोतों में लवणों की अधिकता के कारण खारे पानी की समस्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

प्रदेश की कुल गुणवत्ता प्रभावित चिन्हित 9183 बसाहटों में से 8950 बसाहटों में सुरक्षित वैकल्पिक स्त्रोतों पर आधारित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल 15 जनवरी 2016 तक उपलब्ध कराया जा चुका है। दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में शेष 537 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से कुल 304 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है एवं शेष 233 बसाहटों में कार्य प्रगति पर हैं, इनमें से 151 बसाहटें फ्लोराइड से, प्रभावित बसाहटों में 31 मार्च 2016 तक वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था कर ली जायेगी।

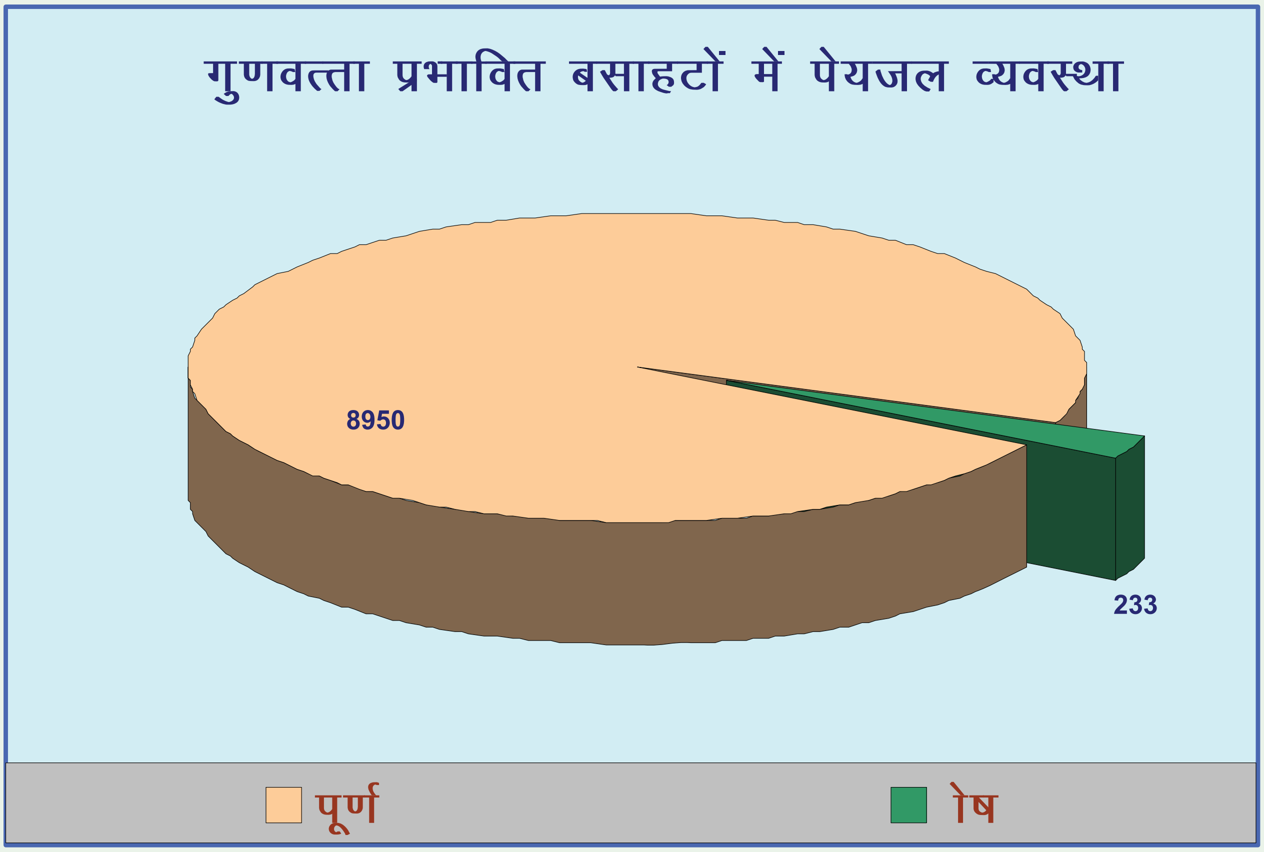
गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था
8950
233
पूर्ण
ोष

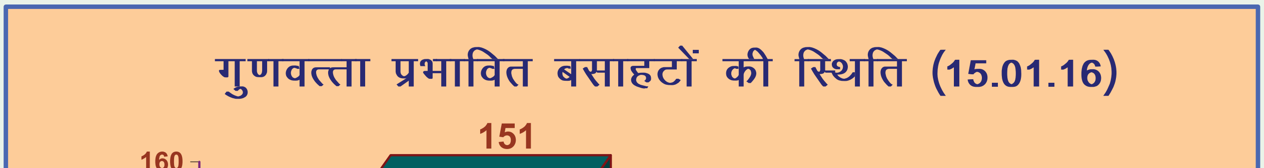
गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की स्थिति (15.01.16)
बसाहटों की संख्या
160
140
120
100
80
60
40
20
0
151
53
29
फ्लोराइड प्रभावित
लौह तत्व की अधिकता
खारेपन की अधिकता

गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम हरदासपुर, विकासखण्ड जोबट, जिला अलीराजपुर में फ्लोराइड मुक्त पेयजल व्यवस्था

ग्राम सक्तली विकासखण्ड धार में उच्चस्तरीय टंकी से नलकनेक्शन के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय

ग्राम सक्तली विकासखण्ड धार में उच्चस्तरीय टंकी से नलकनेक्शन के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय

ग्राम धतुरिया, माहनकोट, सेमरोड, विकासखण्ड पेटलावद जिला झाबुआ की बसाहटो में आर.सी.सी. सिस्टर्न के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय व्यवस्था

ग्रामीण नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु इंटेक वेल का निर्माण
ग्राम चारणकोटड़ा, विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ

ग्रामीण नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन के अन्तर्गत जल शुद्धिकरण सयंत्र ग्राम बोलासा,
विकासखण्ड पेटलावद, जिला झाबुआ

जनभागीदारी अंतर्गत ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आर.सी.सी.उच्चस्तरीय टंकी का निर्माण कार्य, क्षमता 80 कि.ली., ऊँचाई 12 मी. ग्राम सलवाह, पंचायत सलवाह, विकासखण्ड घुघरी, जिला मण्डला

3.1.6 ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में जल प्रदाय :–

ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रदेश की सभी शासकीय भवन युक्त ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है, तथापि ऐसी शालाओं, जिनमें स्रोत असफल अथवा गुणवत्ता प्रभावित हो गए हैं, में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2015–16 में 15 जनवरी 2016 तक 2129 पेयजल विहीन चिन्हित ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। इसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य 4000 के विरुद्ध 15 जनवरी 2016 तक 2609 पेयजल विहीन शासकीय भवनयुक्त ऑगनवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था

3.1.7 भू जल संवर्धन एवं स्रोत स्थायित्व कार्यों की प्रगति :–

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में 15 जनवरी 2016 तक कुल 2853 भू जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण पेयजल स्रोतों के स्थायित्व हेतु किया जा चुका है।

3.1.8 आश्रम/छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण :–

प्रदेश के सभी अनुसूचितजाति/जनजाति के आश्रम/छात्रावासों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा अनुसूचितजाति/जनजाति के आश्रम/छात्रावासों में सोलर पंप के माध्यम से पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के कार्य किये गये हैं। 15 जनवरी 2016 तक 125 आश्रम छात्रावासों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

3.1.9 हैंडपंप–प्लेटफार्म का पुनर्निर्माण :–

वर्ष 2015–16 के दौरान पुराने एवं क्षतिग्रस्त हैंडपंप प्लेटफार्म के स्थान पर 20000 नये प्लेटफार्म निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध 15 जनवरी 16 तक कुल 17537 प्लेटफार्म निर्मित किए गए हैं।

ग्राम तजपुरा, विकासखण्ड टिमरनी, जिला हरदा में प्लेटफार्म का निर्माण

3.1.10 स्रोत सूखने से बन्द योजनाओं में स्रोत निर्माण :–

ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन/संधारण का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का है, तथापि नलजल योजनाओं के स्रोत सूख जाने से बन्द पेयजल योजनाओं में विभाग द्वारा स्रोत निर्मित कर योजना पुनः चालू की जाती है। वर्ष 2015–16 में 15 जनवरी 16 तक 1509 बन्द योजनाओं में नये स्रोत निर्मित कर योजनाएं पुनः चालू की गयीं।

3.1.11 माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं का क्रियान्वयन :–

प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिसम्बर, 2008 से 15 जनवरी 2015 तक की अवधि में कुल 254 घोषणाओं के विरुद्ध कुल 232 घोषणाओं को पूर्ण किया जा चुका है, शेष 22 घोषणाओं के कार्य प्रगति पर हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

3.2 आदिवासी उपयोजना :–

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा वर्तमान में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी बहुल बसाहटों में वर्ष 2015–16 के लिये कुल निर्धारित लक्ष्य 3135 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के विरुद्ध कुल 2983 बसाहटों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष बसाहटों में कार्य निरंतरित हैं।

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विगत वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

- **भौतिक उपलब्धि**

क्र.	कार्यक्रम	2013–14	2014–15	2015–16 (15 जनवरी 16)
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	4620	3470	2335
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	467	920	556
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	450	422	92
4	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	1706	1085	532
5	ग्रामीण ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	2185	1328	704

- **विगत तीन वर्षो के दौरान आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत हुये व्यय का विवरण निम्नानुसार है:–**

(रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16 (दिसम्बर 15)
1	ग्रामीण क्षेत्र	29102.28	26880.60	15841.03

ग्राम रतवा, विकासखण्ड नालछा, जिला धार में, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की श्रीमती संध्यासिंह, निदेशक एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा पेयजल योजनाओं का निरीक्षण भ्रमण।

3.3 अनुसूचित जाति उपयोजना :–

अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा वर्तमान में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल बसाहटों में वर्ष 2015–16 के लिये कुल निर्धारित लक्ष्य 1600 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 1453 बसाहटों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष बसाहटों में कार्य निरंतरित हैं।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विगत वर्षो में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

- **भौतिक उपलब्धि**

क्र.	कार्यक्रम	2013–14	2014–15	2015–16 (15 जनवरी 16)
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	1785	2514	1168
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	341	580	247
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	70	117	38
4	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	942	850	320
	ग्रामीण ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	1154	1138	390

- विगत तीन वर्षो के दौरान अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत हुये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16 (दिसंबर 15 तक)
1	ग्रामीण क्षेत्र	19116.62	16384.49	8788.84
2	नगरीय क्षेत्र	200.99	0.00	0.00
	योग :	**19317.61**	**16384.49**	**8788.84**

3.4 ग्रामीण नल जल / स्थल जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन :–

ग्रामीण बसाहटों में पेयजल के लिए प्रदेश में सामान्यतः हैण्डपंप योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं किन्तु बड़े ग्रामों में अथवा ऐसे ग्रामों में जहां दूर से पानी लाया जाना आवश्यक हो, वहां नल जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। सभी नल जल / स्थल जल प्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में, विशेषकर स्रोत सूख जाने की स्थिति में विभाग द्वारा नये स्रोत का निर्माण भी किया जाता है। जिन ग्रामों में नलकूपों में अधिक गहराई पर पानी उपलब्ध हो, वहॉ हैण्डपम्प के स्थान पर पावर पंप स्थापित कर स्थल जल योजनाएं (स्पॉट सोर्स योजना) भी क्रियान्वित की जाती हैं।

ग्राम खरसोद कला, विकासखण्ड बड़नगर, जिला उज्जैन में निर्मित उच्च स्तरीय पेयजल टंकी, स्टेजिंग 15 मीटर, क्षमता 270 कि.ली.

राज्य शासन द्वारा नलजल योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. नलजल योजना का प्रस्ताव ग्राम पंचायत/तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से ग्राम की सर्वसहमति के आधार पर लेना होगा।
2. नलजल योजना का संचालन एवं संधारण तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से किया जावेगा, इस आशय की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
3. नलजल योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।
4. नलजल योजना से घरों में निजी कनेक्शन लेने हेतु कम से कम 75 प्रतिशत परिवारों द्वारा लिखित सहमति देनी होगी।
5. सामान्य परिवारों के बाहुल्य वाले ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 3.00 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 1.00 प्रतिशत अंशदान जन सहयोग के रूप में एकत्र करना होगा।
6. अंशदान के रूप में एकत्रित राशि सावधि जमा के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी करा कर विभाग द्वारा जमा कराई जावेगी।
7. जिन समितियों द्वारा नलजल योजना सफलतापूर्वक चलाई जावेगी उन योजनाओं में एकत्रित अंशदान की राशि में से 20.00 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष के मान से प्रोत्साहन राशि के रूप में आने वाले 5 वर्षों में उस समिति को वापस कर दी जावेगी।
8. पानी का वितरण ग्राम के सभी परिवारों में समान रूप से हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
9. विभिन्न उपभोक्ताओं हेतु देय जलकर की राशि का निर्धारण ग्राम की जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जावेगा। अत्यन्त कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को समिति द्वारा जलकर जमा करने से पूर्ण अथवा आंशिक छूट भी दी जा सकती है।

सोलर पम्प आधारित नलजल योजना का क्रियान्वयन– ग्राम खुन्दर, विकासखण्ड कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर में शुद्ध पेयजल व्यवस्था

सोलर पम्प आधारित नलजल योजना का क्रियान्वयन–ग्राम ताखला खुर्द, विकासखण्ड बरघाट, जिला सिवनी में घर–घर नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल व्यवस्था

ग्रामीण नलजल योजना के क्रियान्वयन के अन्तर्गत पेयजल प्रदाय उच्च स्तरीय टंकी, क्षमता 80000 लीटर का निर्माण, ग्राम मऊ विकासखण्ड रतलाम

3.5 एकीकृत क्षेत्र कार्यक्रम (आई.ए.पी.) जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था :–

एकीकृत क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिले क्रमशः मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया आते हैं। इन जिलों की 1199 बसाहटों में सौर ऊर्जा पर आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष द्वारा योजना लागत की 40 प्रतिशत एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 30–30 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष द्वारा रुपये 1364.76 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। प्राप्त राशि का उपयोग कर 31.3.2015 तक कुल 658 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह जनवरी 2016 तक 325, इस प्रकार कुल 983 सोलर पंप आधारित योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। इन योजनाओं में 250 तक की आबादी वाले ग्रामों में हैण्डपंपों पर सोलर पंप स्थापना, उच्चस्तरीय टंकी तथा पाईप लाईन बिछाकर ग्रामीण जनों को निजी नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय सुनिश्चित किया गया है।

एकीकृत क्षेत्र कार्यक्रम (आई.ए.पी.) जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था ग्राम घाट परासिया, विकासखण्ड छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा

एकीकृत क्षेत्र कार्यक्रम (आई.ए.पी.) जिलों में सौर ऊर्जा आधारित पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था– ग्राम ताखला खुर्द, विकासखण्ड बरघाट, जिला सिवनी

÷ **प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में स्थापित हैण्डपंप एवं नलजल प्रदाय योजनाएंः–**

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 15.01.2016 की स्थिति में स्थापित हैंडपंपों व क्रियान्वित की गई नलजल योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :–

÷ **स्थापित हैंडपंपों की स्थिति :–**

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	**कुल स्थापित शासकीय हैंडपम्प**	**528637** *
2.	चालू हैंडपम्प	505951
3.	कुल बन्द हैण्डपम्प	22686
3.1	जलस्तर कम होने से बन्द हैण्डपम्प	10306
3.2	असुधार योग्य (भरे–पटे आदि)	9320
3.3	साधारण खराबी से बन्द (सुधार योग्य)	3060

* वर्ष 2015–16 में असुधार योग्य हैण्डपम्पों को निकाल लिये जाने के उपरान्त।

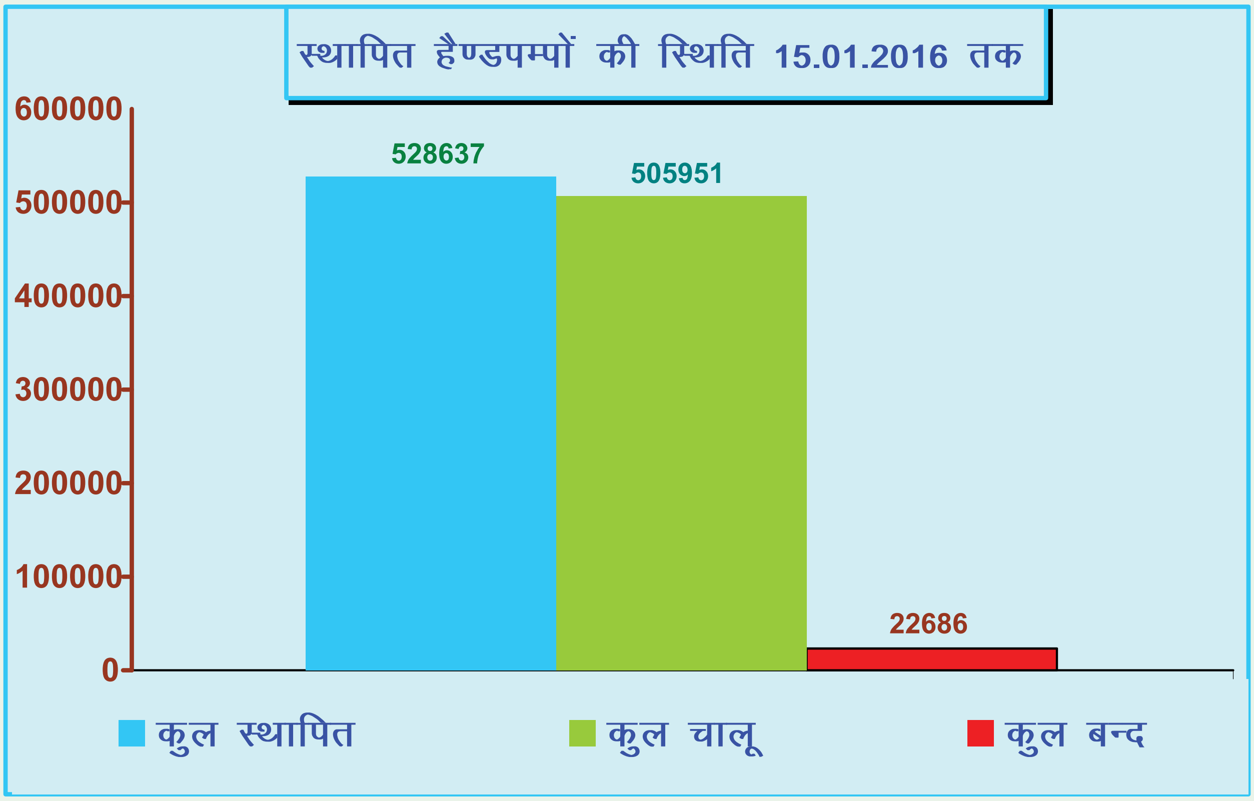

स्थापित हैण्डपम्पों की स्थिति 15.01.2016 तक
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
528637
505951
22686
कुल स्थापित
कुल चालू
कुल बन्द

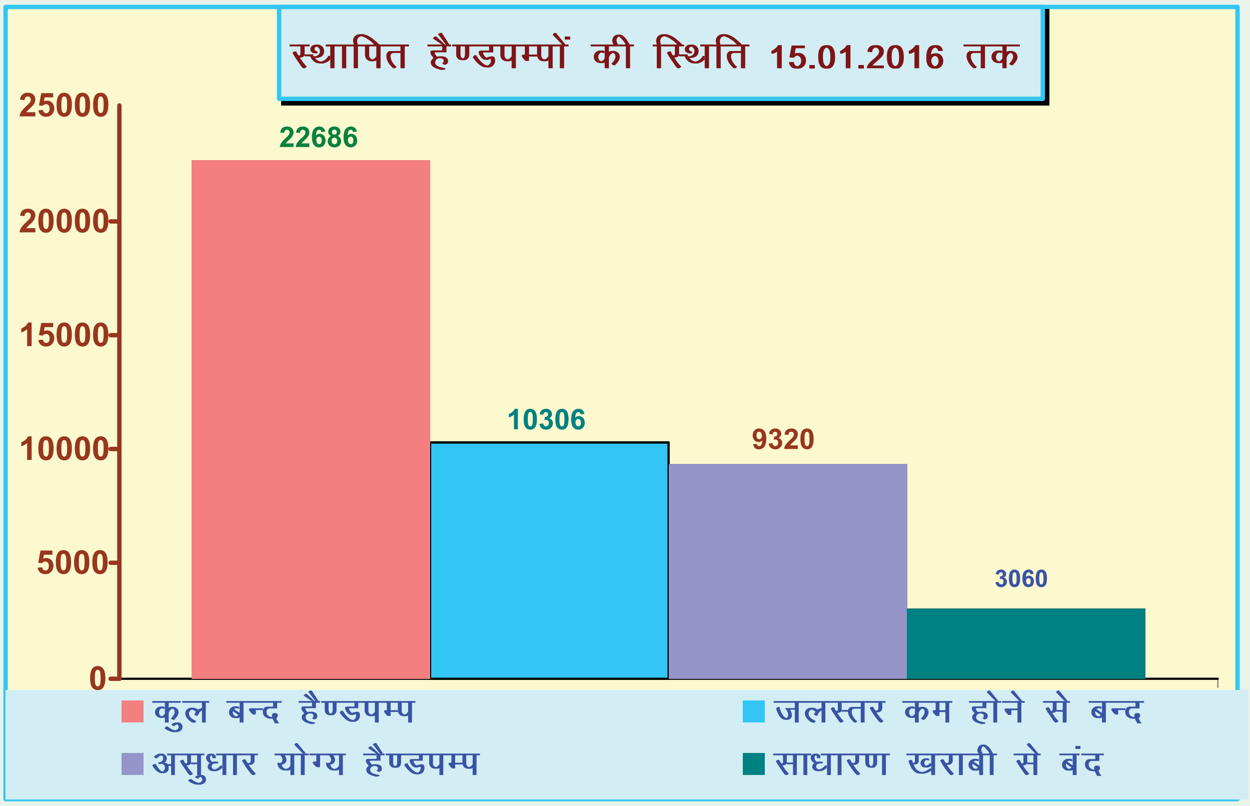

स्थापित हैण्डपम्पों की स्थिति 15.01.2016 तक
25000
20000
15000
10000
5000
0
22686
10306
9320
3060
कुल बन्द हैण्डपम्प
जलस्तर कम होने से बन्द
असुधार योग्य हैण्डपम्प
साधारण खराबी से बंद

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैण्डपंपों का संधारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। साधारण खराबी के कारण बन्द हैण्डपम्प निरंतर सुधार प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमित रूप से सुधारे जाते हैं, विभाग द्वारा 89 विकासखण्डों में निजी संस्थाओं को आउट सोर्स कर शेष 224 विकासखण्डों में विभागीय मैकेनिकों के माध्यम से संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जिसके लिए सभी जिलों में हैण्डपंप मैकेनिक पदस्थ हैं। संधारण कार्यों के अंतर्गत ही सामान्य रख–रखाव के साथ साथ जल स्तर नीचे जाने पर हैण्डपंपों में राइजर पाइप में वृद्धि के कार्य, संभव होने पर भरे–पटे नलकूपों को साफ कर उन्हें पुनः पेयजल हेतु उपयोगी बनाने के कार्य, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग व हैण्डपंपों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म निर्माण आदि के कार्य भी विभाग द्वारा कराये जाते हैं।

- **स्थापित नलजल / स्थलजल प्रदाय योजनाओं की स्थिति :–**

प्रदेश में 15.01.2016 की स्थिति में, ग्रामीण क्षेत्र में कुल 15058 ग्रामीण नलजल / स्थलजल प्रदाय योजनाएं संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

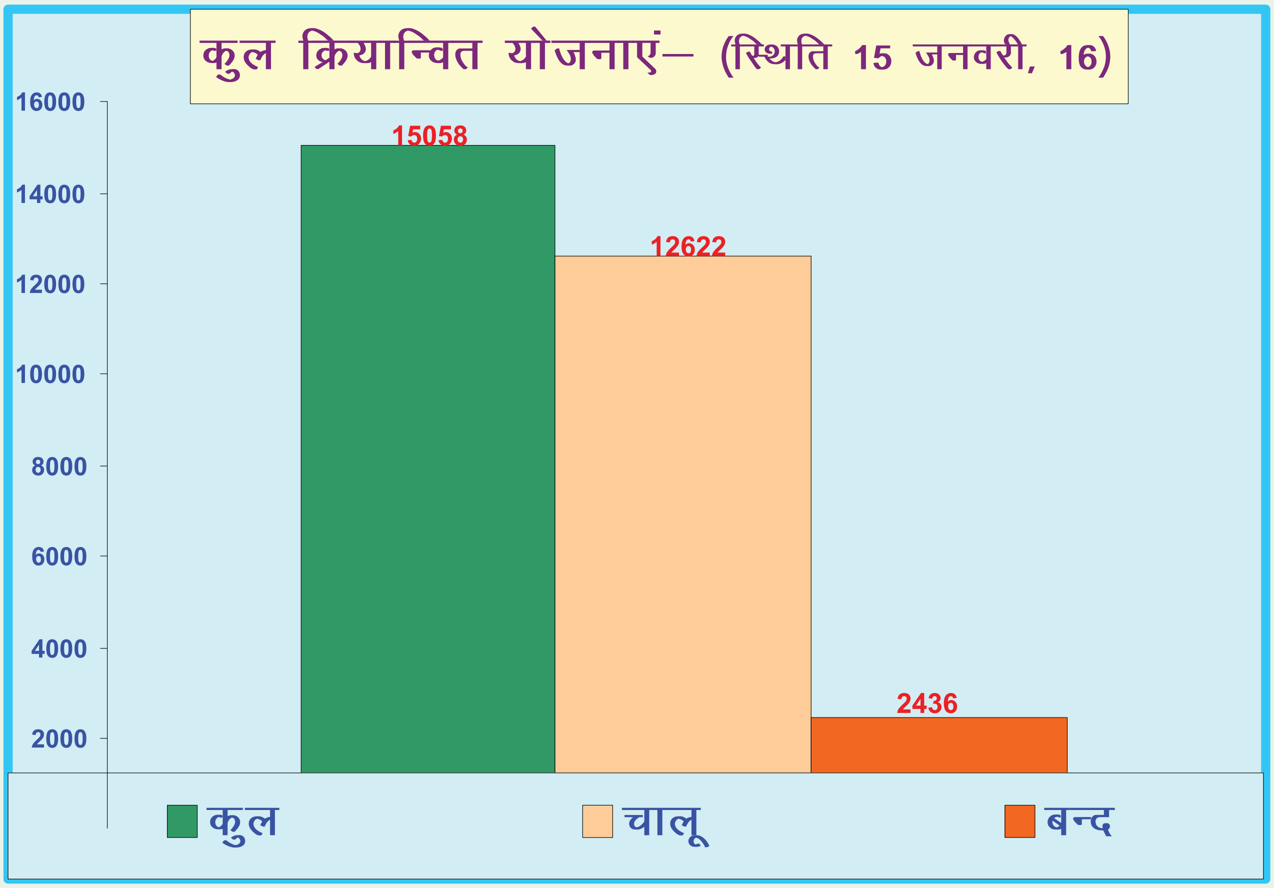

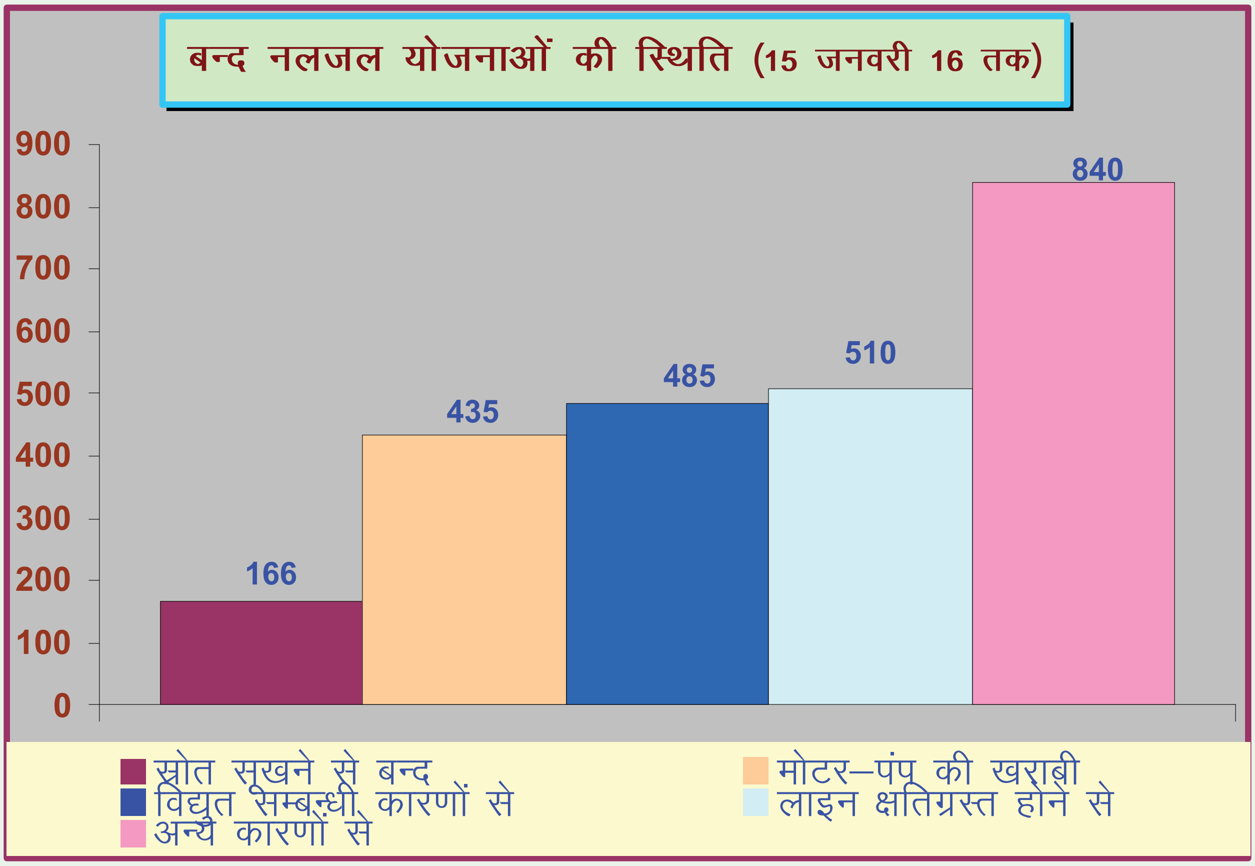

3.6 पेयजल व्यवस्था की निगरानी :–

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने हेतु स्थापित हैण्डपंपों का सतत् भौतिक निरीक्षण कराया जाता है। हैण्डपंप संधारण कार्य को लोक सेवा प्रदाय गारन्टी अधिनियम–2005, के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्रोतों के जल का परीक्षण कर उनके जल की गुणवत्ता का भी सतत् अनुश्रवण किया जाता है।

3.7 गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्त्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण:–

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लोराइड, खारापानी व लौह तत्व आदि जल गुणवत्ता समस्या से प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिका के दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 1.4.09 से नई योजनाओं हेतु योजना लागत की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।

दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में शेष 537 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से कुल 304 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है एवं शेष 233 बसाहटों में कार्य प्रगति पर हैं, इनमें से 151 फ्लोराइड से, प्रभावित बसाहटों में 31 मार्च 2016 तक वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था कर ली जायेगी।

3.7.1 फ्लोरोसिस नियंत्रण :—

पेयजल में 1.5 मि.ग्रा./लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फ्लोराइड प्रदूषित पेयजल के निरंतर सेवन से फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है, जिसका प्रारंभिक अवस्था में बचाव किया जा सकता है। अब तक प्रदेश की कुल 1.27 लाख बसाहटों में से प्रदेश के 27 जिलों की 6746 बसाहटों के 11460 स्त्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानदण्ड से अधिक पाई गई है। दिनांक 31.3.15 तक फ्लोराइड प्रभावित ऐसी 6371 बसाहटों में पेयजल के सुरक्षित स्रोत भी उपलब्ध करा दिये गये हैं, दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में पाँच जिलों की शेष 380 बसाहटों में से दिनांक 15.01.2016 तक 229 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है तथा शेष 151 बसाहटों में इसी वित्तीय वर्ष में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था की जायेगी।

गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की समूह नल जल प्रदाय योजना, जल शुद्धिकरण संयंत्र, क्षमता 4.68 एम.एल.डी, ग्राम एवं पंचायत बडी खैरी, विकासखण्ड मण्डला, जिला मण्डला

गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की समूह नल जल प्रदाय योजना, नर्मदा नदी पर आर.सी.सी. इंटेकवेल सह पम्प हाउस का निर्माण कार्य, व्यास 6.0 मी. ऊँचाई 18 मी. ग्राम एवं पंचायत बड़ी खैरी, विकासखण्ड–मण्डला, जिला मण्डला

ग्राम बनगांव विकासखण्ड छिन्दवाड़ा में स्थापित ई.डी.एफ प्लांट

3.7.2 खारेपन के नियंत्रण की योजनाएं :—

पेयजल में कुल घुलित लवणों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर (कोई अन्य स्रोत न होने की दशा में) है। पेयजल में उपरोक्त मात्रा से अधिक लवण होने पर पानी खारा हो जाता है।

प्रदेश के 15 जिलों के 799 ग्रामों के 1889 भू—जल स्त्रोतों में खारेपन की समस्या पायी गयी थी, दिनांक 31.3.2015 तक इन बसाहटों में से 767 ग्रामों/बसाहटों में पेयजल के वैकल्पिक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराये गये हैं। दिनांक 1.4.2015 की स्थिति में एक जिला भिण्ड की खारे पानी से प्रभावित शेष 29 ग्रामों/बसाहटों में भी आवश्यकतानुसार योजनाएं बनाई जाकर क्रियान्वित की जा रही हैं, कार्य निरंतरित हैं

3.7.3 लौह तत्व की अधिकता का निराकरण :—

पेयजल में लौहतत्व की अधिकता होने से पानी लाल—भूरा हो जाता है एवं रंग के कारण अस्वीकार्य हो जाता है। पेयजल में लौहतत्व की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 0.3 मिली ग्राम प्रतिलीटर है। प्रदेश के 12 जिलों की 596 बसाहटों के 884 स्रोत लौह तत्व की अधिकता से प्रभावित पाए गए थे इन अधिकांश बसाहटों में वैकल्पिक जल प्रदाय के सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराये गये हैं एवं जहॉ सुरक्षित जलप्रदाय की मात्रा मानदंडों से कम है, वहां लौह तत्व प्रभावित जल स्रोतों पर लौह निष्कासन संयंत्र स्थापित कर शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है। दिनांक 1.4.2015 की स्थिति में तीन जिलों की 120 बसाहटों में कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं व 67 बसाहटों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

3.8 भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम :—

प्रदेश में अधोसंरचना एवं भवन निर्माण के क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ते हुये हरीकरण, औद्योगीकरण तथा कृषि कार्य हेतु भूजल के अत्यधिक उपयोग में वृद्धि के फलस्वरूप उपलब्ध जल भंडारों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में असामान्य एवं असंतुलित वर्षा, भूजल पर निरंतर बढ़ती निर्भरता के कारण भू—जल स्तर में निरंतर गिरावट हुई है। भूजल के निरंतर दोहन से जल गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। प्रदेश के मालवा—निमाड़ क्षेत्र तथा ग्वालियर—चंबल, रीवा तथा सागर संभागों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के भूजल स्तर में सत्त गिरावट परिलक्षित हुई है। भूजल स्तर में गिरावट के कारण जहां पूर्व में कुंओं से निरंतर पेयजल उपलब्ध हो जाता था, वहीं आज गहरे नलकूपों का खनन आवश्यक हो गया है।

3.8.1 केन्द्रीय भू—जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2010—11 में किये गये ऑकलन के अनुसार प्रदेश के 33 जिलों के 24 विकास खंड अतिदोहित Over-exploited), 4 विकासखण्ड दोहित Critical) एवं 67 विकास खण्ड अर्द्धदोहित (Semicritical) श्रेणी में हैं। इन विकास खंडों में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुये इसका संरक्षण एवं संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है। विभाग द्वारा इन विकास खंडों में भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण का कार्य किया जा रहा है। विकासखण्डों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :

जिला	विकास खण्डों के नाम					
	क्र.	अतिदोहित	क्र.	दोहित श्रेणी	क्र.	अर्द्धदोहित श्रेणी
बड़वानी	1	पानसेमल			1 2	राजपुर ठीकरी
धार	2 3 4 5	बदनावर धार धरमपुरी नालछा			3 4	मनावर तिरला
इंदौर	6 7 8	इंदौर सांवेर देपालपुर			5	महूँ
मंदसौर	9 10	मंदसौर सीतामऊ			6 7	मल्हारगढ़ भानपुरा
रतलाम	11 12 13 14	जावरा पिपलोदा रतलाम आलोट			8	सैलाना
ाजापुर	15 16	मोमन बड़ोदिया ुजालपुर			9 10	कालापीपल ाजापुर
उज्जैन	17 18 19	उज्जैन बड़नगर घटिया			11 12	महिदपुर खाचरौद
देवास	20 21	देवास सोनकच्छ			13	खातेगांव
आगर	22 23	नलखेड़ा सुसनेर	1	आगर	14	बड़ोद
सतना	24	रामपुर बघेलान	2 3	अमरपाटन सोहावल	15 16	नागौद मैहर
नरसिंहपुर			4	नरसिंहपुर	17 18 19	गोटेगांव करेली चॉवरपाठा
भोपाल					20 21	फंदा बैरसिया
बैतूल					22	बैतूल
बुरहानपुर					23	बुरहानपुर
छिन्दवाड़ा					24	छिंदवाड़ा

जिला	विकास खण्डों के नाम					
	क्र.	अतिदोहित	क्र.	दोहित श्रेणी	क्र.	अर्द्धदोहित श्रेणी
छतरपुर					25	छतरपुर
					26	राजनगर
					27	नौगांव
					28	बक्सवाहा
					29	बड़ा मलहरा
खरगौन					30	खरगौन
					31	महेश्वर
					32	बड़वाहा
खंडवा					33	छेगॉव माखन
नीमच					34	जावद
					35	नीमच
रीवा					36	गंगेव
					37	सिरमौर
सीधी					38	सीधी
सीहोर					39	सीहोर
					40	आष्टा
जबलपुर					41	ाहपुरा
राजगढ़					42	नरसिंहगढ़
					43	खिलचीपुर
					44	सारंगपुर
					45	ब्यावरा
ग्वालियर					46	मुरार
शिवपुरी					47	खनियाढाना
					48	करेरा
					49	नरवर
					50	बदरवास
					51	पिछौर
दतिया					52	दतिया
गुना					53	गुना
मुरैना					54	मुरैना
					55	कैलारस
					56	सबलगढ़

जिला	विकास खण्डों के नाम					
	क्र.	अतिदोहित	क्र.	दोहित श्रेणी	क्र.	अर्द्धदोहित श्रेणी
पन्ना					57	अजयगढ़
टीकमगढ़					58	बल्देवगढ़
					59	निवाड़ी
					60	टीकमगढ़
					61	पलेरा
					62	जतारा
सागर					63	बंडा
					64	सागर
					65	रेहली
दमोह					66	पथरिया
					67	हटा

ग्राम मयाला, विकासखण्ड अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, चैक डैम का निर्माण

पेयजल सुरक्षा हेतु विकासखण्ड पिपलोदा, जिला रतलाम के ग्राम अयाना में बनाई गई रिचार्ज शाफ्ट संरचना

पेयजल सुरक्षा हेतु विकासखण्ड पिपलोदा, जिला रतलाम के ग्राम अयाना में बनाई गई रिचार्ज शाफ्ट संरचना

3.8.2 वर्ष 2013–14 में भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण हेतु शासन द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति से तैयार की गई भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण योजनाओं को स्वीकृत करने के लिये प्राथमिकता का निर्धारण जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जिसके अध्यक्ष जिले के कलेक्टर हैं, के द्वारा किया जाता है और स्वीकृति पश्चात् योजनाओं का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है।

3.8.3 अतिदोहित विकास खंडों में राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न कृषि–जलवायु एवं सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों

की स्थिति के आधार पर पश्चिमी मध्यप्रदेश में स्थित अतिदोहित विकास खंड पिपलोदा जिला रतलाम तथा पूर्वी मध्यप्रदेश में स्थित अतिदोहित विकासखंड रामपुर बघेलान जिला सतना में जल सुरक्षा एवं भूजल संवर्धन कार्य को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का कार्य प्रगति पर है। इस परियेाजना के अंतर्गत ग्रामवासियों की सहभागिता से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप भूजल संवर्धन संरचनाएं प्रस्तावित कर विभिन्न विभागों के समन्वय से क्रियान्वित की जा रही हैं।

3.8.4 अतिदोहित विकासखंडों में सस्टेनेबिलिटी योजना प्रारंभ करने की भारत सरकार, के जल संसाधन मंत्रालय, की योजना के अंतर्गत विकासखंड उज्जैन जिला उज्जैन, में नरवर माइक्रोवाटरशेड तथा विकासखंड धार जिला धार में जैतपुरा माइक्रोवाटरशेड में कार्य प्रगतिपर है। उक्त कार्य केन्द्रीय भूजल बोर्ड के तकनीकी सहयोग से किये जा रहे हैं।

3.8.5 प्रदेश में भूजल स्तर में गिरावट को रोकने एवं भूजल स्त्रोतों पर बढ़ते हुए दवाब को कम करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस विषय को दृष्टि पत्र–2018 में भी सम्मिलित किया गया है। भूजल स्तर में गिरावट रोकने के लिये निम्नांकित एकीकृत कदम उठाये जाने की आवश्यकता हैः–

1 सतही जल के भंडारण, संरक्षण एवं भूजल के संवर्धन एवं पुनर्भरण तथा प्रबंधन हेतु एकीकृत ठोस कार्यवाही।

2 सतही जल तथा भूजल के भंडारण, संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं मिले जुले उपयोग हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त एकीकृत योजना बनाये जाने की आवश्यकता।

3 सतही एवं भू–जल स्रोतों के उचित उपयोग हेतु जल की उपयोगिता का प्राथमिकताक्रम निर्धारित करने हेतु जलनीति तैयार की जाना आवश्यक है।

3.8.6 छतीय वर्षाजल पुनर्भरण तकनीक :–

भूजल स्त्रोतों पर पेयजल के लिए वर्तमान में हमारी निर्भरता 95 प्रतिशत से अधिक है अतः भूगर्भीय जल स्त्रोतों पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिये उपलब्ध वर्षाजल के उपयुक्त भंडारण, कुशल प्रबंधन तथा संरक्षण की प्रभावी तकनीक का विकास कर उसका उपयोग किया जाना वर्तमान समय की मांग है। वर्षाजल के दोहन हेतु छतीय वर्षाजल को एकत्रित कर छोटे फिल्टर के माध्यम से टंकी में संग्रहित किया जाता है। यह टंकी सामान्यतः फेरो कांक्रीट की या कुछ स्थानों पर आर.सी.सी. की निर्मित की जा रही हैं। इस संग्रहित वर्षाजल का उपयोग, सामान्य रूप से पानी को कीटाणु रहित (डिसइन्फैक्शन) कर, पेयजल हेतु किया जा सकता है।

3.9 विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण :–

ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूपों का खनन, विभागीय रूप से विभागीय रिगों द्वारा सम्पादित किया जाता है। बड़े ग्रामों की नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी स्रोत नलकूपों के खनन के कार्य विभागीय रिगों द्वारा किए जाते हैं। वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर 2015 तक कुल 7443 नलकूपों का खनन किया गया। वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर 2015 तक 465 कम आवक क्षमता वाले नलकूपों के पुनर्जीवीकरण का कार्य भी विभागीय हाईड्रोफेक्चरिंग इकाइयों का उपयोग कर किया गया है। विभागीय रिग मशीनों से कुल 2157 नलकूपों की सफाई का कार्य भी किया गया है। विभाग में उपलब्ध यील्ड टेस्ट इकाइयों के द्वारा नलजल योजना हेतु 40 नलकूपों का यील्ड टेस्ट भी किया गया है।

नलकूप खनन हेतु विभाग में कुल 105 विभागीय खनन मशीनें उपलब्ध है, जिनमें 93 डी.टी.एच. रिग, 8 रोटरी रिग तथा 4 काम्बीनेशन मशीनें हैं। जिलों की भू–सरंचना को दृष्टिगत रखते हुए डी.टी.एच. रिग पथरीले इलाके में साधारण नलकूप, रोटरी रिग मशीनें मिट्टी व रेतीले स्ट्रेटा में ग्रैवल पेक नलकूप तथा

कास्बीनेशन रिग मिश्रित स्ट्रेटा के क्षेत्र में नलकूप खनन करने के लिए प्रयुक्त होती है। वर्तमान में 5 हाईड्रोफेक्चरिंग मशीनें जल आवक क्षमता बढानें एवं 4 यील्ड टेस्ट यूनिट जल आवक क्षमता परीक्षण के लिए विभाग में उपलब्ध है ।

- विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा विगत वर्षो में किये गए कार्यो की प्रगतिः–

वर्ष	खनित नलकूपों की संख्या	सफल नलकूपों की संख्या
2013–14	11206	9886
2014–15	9336	8311
2015–16 (माह दिसम्बर 15 तक)	7443	6855

- विभागीय मशीनों से वर्ष 2015–16 में अद्यतन 2157 नलकूपों की सफाई, 554 नलकूपों में हाईड्रोफेक्चरिंग तथा 40 नलकूपों की यील्ड टेस्टिंग की गई

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के अन्तर्गत विभागीय मशीनों से नलकूप खनित कर शुद्ध पेयजल व्यवस्था

- **विभागीय वाहनों की जानकारी :–**

  विभाग के मेकेनिकल खण्ड भोपाल के अन्तर्गत वर्ष 1991 के बाद के 18 निरीक्षण वाहन उपलब्ध हैं, जो भोपाल मुख्यालय के अधिकारियों को आवंटित हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में आवश्यकतानुसार निरीक्षण वाहन किराये पर लिये जाते हैं।

- **विभागीय वर्कशाप की जानकारी :–**

  विभाग के मेकेनिकल संकाय के अन्तर्गत 03 वर्कशाप उपखण्ड विभागीय मशीनों के सुधार कार्य हेतु कार्यरत थे, शासन के निर्देशानुसार भण्डार खण्ड भोपाल के अन्तर्गत भोपाल में कार्यरत वर्कशाप उपखण्ड, भण्डार उपखण्ड क्रमांक–1 एवं भण्डार उपखण्ड क्रमांक–2 को नर्मदा परियोजना खण्ड भोपाल, मेकेनिकल खण्ड ग्वालियर के अन्तर्गत ग्वालियर में कार्यरत वर्कशाप उपखण्ड को दतिया तथा मेकेनिकल खण्ड जबलपुर के अन्तर्गत जबलपुर में कार्यरत वर्कशाप उपखण्ड को सिंगरौली जिले में स्थानातरित कर दिया गया है ।

- विभाग के मेकेनिकल संकाय के अन्तर्गत स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की दिनांक 15.1.2016 की स्थिति में जानकारी :–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	मुख्य अभियंता	01	0	01
2	अधीक्षण यंत्री	05	03	02
3	कार्यपालन यंत्री	11	09	02
4	सहायक यंत्री	62	32	30
5	उपयंत्री	263	146	117

3.10 प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रणालियों के सफल रूपांकन, कार्यान्वयन, परिचालन एवं रख रखाव के लिये अद्यतन प्रचलित तकनीकों में दक्ष अधिकारियों/ कर्मचारियों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः विभाग के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को जल आपूर्ति तथा सफाई–व्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्धित तकनीकों तथा प्रबंधन दक्षता प्राप्त होना तथा समय–समय पर इसे अद्यतन करना और जलप्रदाय व स्वच्छता के क्षेत्र में हुए नवीनतम अनुसंधान एवं विकास से अवगत कराना आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2014–15 में कुल 169 एवं वर्ष 2015–16 में 15 जनवरी 2016 तक कुल–509 अधिकारियों/कर्मचारियों को नामांकित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष 2014–15 में एवं वर्ष 2015–16 में 15.1.2016 तक आयोजित प्रशिक्षणः–

संस्था का नाम	वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		कुल	
	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु
1	2	3	4	5	6	7
सी.पी.एच.ई.ई.ओ.नई दिल्ली	12	106	01	07	13	113
प्रशासन अकादमी भोपाल	02	60	06	180	08	240
इण्डियन वाटर वर्क्स एसोसियेशन	01	03			01	03
एम.पी.टी.ए.एस.टी. भोपाल			07	265	07	265
इण्डिया वाटर फाउन्डेशन नई दिल्ली			01	52	01	52
आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल			01	05	01	05

उपरोक्तानुसार प्रशिक्षणों में मूलतः निम्न विषयों पर अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

1. निर्माण कार्यो में गुणवत्ता, नियंत्रण विभिन्न प्रकार के परीक्षण, एवं नवीनतम प्रचलित मार्गदर्शी कोड अनुसार क्रियान्व्यन।
2. Ground Water Prospect Maps HGM)
3. महालेखाकार का प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति में विभागीय साक्ष्य संबंधी प्रशिक्षण।
4. Financial power & Accounting procedures
5. विभिन्न अवयवों हेतु कम्प्यूटर एडेड डिजाईन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
6. कम्प्यूटर में वर्ड, एक्सल एवं पावर पाईंट से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
7. Personality Development (Leadership Manageral skill and Conflict & Stress Management
8. व्यवहार परिवर्तन संचार (Behavior Change Communication - BCC)

3.11 विभागीय कम्प्यूटरीकरण की प्रगति :—

ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय से उपखंड स्तर तक के सभी कार्यालयों हेतु विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकरण की योजना की स्वीकृति राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अर्न्तगत प्राप्त केन्द्रीय सहायता से की गयी थी। विभाग की गतिविधियों, योजना, कार्यक्रमों से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण हेतु कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर को विकसित किया गया है। साफ्टवेयर में जिलास्तर से प्रत्येक माह जानकारी भरी जाती है, एवं विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है। विभाग की आवश्यकतानुसार इस साफ्टवेयर में समय समय पर नवीन माडयूल का समावेश तथा पुराने माड्यूल को अद्यतन किया जाता है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भी विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा हेतु ऑन लाईन साफ्टवेयर का विकास किया गया है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से विभाग की समस्त योजनाओं की विस्तृत प्रगति/स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयरों जैसे— परख, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, समाधान ऑनलाईन एवं लोक सेवा गारंटी इत्यादि में भी जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इन समस्त सॉफ्टवेयर्स का उपयोग विभाग के कार्यालयों में उपलब्ध कम्प्यूटर हार्डवेयर के उपयोग से किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित नवीन एप्लीकेशन साफ्टवेयरों का विभाग में समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभाग के विभिन्न कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर हार्डवेयर को समय—समय पर अद्यतन तथा नये कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय किया जाता है।

विभागीय कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग के कार्यालयों में निम्नानुसार कम्प्यूटर/हार्डवेयर आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है :—

- **प्रमुख अभियंता कार्यालय**

प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रमुख अभियंता, प्रमुख अभियंता (सलाहकार), संचालक, जल सहायता संगठन एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कक्षों में कम्प्यूटर तथा प्रिंटर स्थापित किये गये हैं। इनका उपयोग प्रदेश स्तरीय आंकड़ों के संग्रहण, विभागीय कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर, भारत सरकार, राज्य शासन के विभिन्न ऑन लाईन साफ्टवेयर, ई—मेल से जानकारी के सम्प्रेषण एवं सामान्य पत्राचार के लिये आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में सभी कम्प्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क एवं इन्टरनेट से जोड़े गये हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार एन.आई.

सी. एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से साफ्टवेयर विकास का कार्य भी किया जा रहा है। विभाग में बजट आवंटन तथा व्यय के लेखा जोखा का संधारण भी वित्त विभाग के ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

- **परिक्षेत्र कार्यालय**

  विभाग के विभिन्न परिक्षेत्र कार्यालयों में लेपटॉप, डेस्कटॉप कम्प्यूटर आवश्यक साफ्टवेयर के साथ, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एवं डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। समस्त परिक्षेत्र कार्यालयों में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त आवश्यक यू.पी.एस. इत्यादि भी स्थापित किये गये हैं। परिक्षेत्र कार्यालयों द्वारा उनके अधीनस्थ मंडल तथा खंड कार्यालयों की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा उक्त कम्पयूटर हार्डवेयर तथा विभिन्न विभागीय साफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है।

- **मंडल कार्यालय**

  विभाग के अंतर्गत मंडल कार्यालयों को भी आवश्यक साफ्टवेयर के साथ, इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. एवं सी.वी.टी. उपलब्ध कराये गये हैं। मंडल कार्यालय भी विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा इन संसाधनों के माध्यम से कर रहे हैं।

- **खण्ड कार्यालय**

  कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत जिला स्तर के प्रत्येक खण्ड कार्यालयों को भी इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिटंर के साथ–साथ यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रयोग ाालाओं हेतु भी एक–एक कम्प्यूटर आवश्यक साफ्टवेयर के साथ उपलब्ध कराये गये हैं। खंड कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के यथोचित संसाधनों की उपलब्धता के कारण विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयर का उपयोग आवंटन एवं व्यय का लेखा जोखा रखना, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्टिंग इत्यादि सरल एवं सहज हो गई है। इन्टरनेट, व्ही.पी.एन. इत्यादि सुविधाओं के कारण वित्त से संबंधित समस्त कार्य ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

- **उपखण्ड कार्यालय**

  विभाग के विकास खण्ड स्तर पर स्थित उपखण्ड कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में लागू लोक सेवा गांरटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन की वेबसाइट पर आम नागरिक से प्राप्त आवेदनों की डाटा एन्ट्री करने तथा सेवा उपलब्ध करवाने की स्थिति की समीक्षा हेतु एक नग कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. इन्टरनेट कनेक्टीविटी के साथ पृथक से उपलब्ध करवाया गया है। विभाग के उपखंड स्तर के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया गया है।

- **राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला**

  राज्य अनुसंधान प्रयोग शाला भोपाल को भी कम्प्यूटर, यू.पी.एस. व प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के ऑन लाईन साफ्टवेयर के माध्यम से पेयजल स्रोतों के जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला को राज्य संदर्भ संस्थान बनाया गया है। जल गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न परीक्षणों के ऑकड़ों के संधारण हेतु भी कम्प्यूटर का उपयोग किया जा रहा है।

- ### सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का अद्यतनीकरण

  विभाग द्वारा पूर्व में विकसित विभिन्न कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर तथा उपलब्ध हार्डवेयर, नेटवर्क इत्यादि को विभाग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है एवं तद्नुसार अद्यतन करने की कार्यवाही समय–समय पर की जाती है। नवीन प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर का क्रय भी आवश्यकतानुसार किया गया है।

  सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिनव पहल :–

  जल स्त्रोतों के अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु एक सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में स्थापित विभिन्न शासकीय नलकूपों के ऑकड़े जैसे– गहराई, व्यास, जलक्षमता, पाईपों इत्यादि की जानकारी एवं नलकूपों के चालू एवं बंद होने की स्थिति, प्लेटफार्म की स्थिति, नलकूप का फोटो इत्यादि का संग्रहण टेबलेट पी.सी. के माध्यम से करने तथा इस जानकारी को आनलाईन वेबसाइट पर प्रदर्शित करने तथा जी.आई.एस. मेप पर उनकी स्थिति उपलब्ध करवाने की योजना क्रियान्वित की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थापित समस्त नलकूपों की जानकारी का तथा हैण्डपंपों की चालू/बंद होने की स्थिति का अवलोकन आनलाईन वेबसाइट पर किया जा सकता है। उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से विभाग के समस्त हैण्डपंपों की मेपिंग का कार्य सतत प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा रहा है।

  विभाग द्वारा विकसित उक्त साफ्टवेयर को मध्यप्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा पुरुस्कृत भी किया जा चुका है।

- ### शिकायत पंजीकरण एवं निवारण की आई.व्ही.आर.एस. आधारित व्यवस्था–

  आई.व्ही.आर.एस. आधारित शिकायत निवारण प्रणालीः– प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंपों के खराब होने पर उनकी त्वरित शिकायत प्राप्त करने तथा निवारण करने हेतु आई.व्ही.आर.एस. आधारित शिकायत निवारण प्रणाली आरंभ की गई है। आई.व्ही.आर.एस. प्रणाली के अन्तर्गत सामान्य नागरिक, विभाग द्वारा निर्धारित दूरभाष क्रमांक पर खराब हैन्डपंप की शिकायत कर सकते है। इस हेतु नागरिक को हैन्डपंप पर अंकित यूनिक कोड डायल करना होता है। शिकायत प्राप्त होने पर आई.व्ही.आर.एस. प्रणाली के माध्यम खराब हैन्डपंप की सूचना संबंधित अधिकारियों/तकनीशियनों को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। खराबी का निवारण होने के पश्चात् संबंधित नागरिक को भी सूचना एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाती है। वर्तमान में प्रणाली प्रायोगिक स्थिति में है। प्रणाली को सुदृढ़ करने के उपाय किये जा रहे हैं।

- ### विभागीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

  विभाग द्वारा विगत वर्षो में प्रमुख अभियंता कार्यालय, परिक्षेत्र कार्यालयों एवं जिला स्तर के खंड कार्यालयों एवं उपखंड कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी प्रशिक्षणों के माध्यम से दी गई है। भारत सरकार तथा प्रदेश के विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयर में डाटा एन्ट्री करने तथा इनका उपयोग कर कार्य की समीक्षा करने हेतु भी, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार से सहायक गतिविधियों के अंतर्गत प्राप्त राशि से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किये गये हैं।

- **ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया**

  शासन के निर्देशानुसार विभाग में रूपये 2.00 लाख से अधिक लागत की निविदाओं का आमंत्रण तथा निष्पादन ई–टेण्डरिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इस हेतु विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने हेतु अनुबंधित फर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

- **विभागीय वेबसाइट**

  मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाइट (www.mpphed.gov.in) पर निम्न महत्वपूर्ण जानकारियॉ भी उपलब्ध कराई गई हैं।

  - विभाग के उद्देश्य, दायित्व, संरचना व योजनाओं की जानकारी।
  - विभागीय कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी।
  - सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी एवं विभिन्न प्रपत्र एवं मैन्युअल ।
  - विभाग द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं एवं पेयजल नमूनों के परीक्षण शुल्क की जानकारी ।
  - तकनीकी व अन्य परिपत्र/निर्देश, विभिन्न स्तर के तकनीकी एवं वित्तीय अधिकार, आई.एस. कोड की सूची, विभागीय कार्यालयों के दूरभाष, आदि का विवरण।
  - अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची।
  - विभाग द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं की जानकारी ।
  - विभागीय फोरम।
  - विभागीय उत्कृष्ठ कार्यो के वीडियो, आडियो, छायाचित्र, सफलता की कहानियाँ, प्रचार–प्रसार सामग्री।
  - अधीनस्थ कार्यालयों से पत्राचार की व्यवस्था वेबसाईट के माध्यम से की गई है जिससे अनावश्यक स्टेशनरी एवं डाक व्यय की बचत के साथ समय की भी बचत हो।
  - विभिन्न कार्यालयों द्वारा की जा रही गतिविधियों की दक्षता का विवरण।
  - विभाग में लागू दर–अनुसूचियॉ SOR)

3.12 नगरीय पेयजल कार्यक्रम :–

3.12.1 कार्यक्रम और उपलब्धियां :–

संविधान के 74 वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में, शासन द्वारा जुलाई 2000 में निर्णय लिया गया था कि नगरीय निकाय, जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन स्वयं करने या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से या किसी अन्य संस्था के माध्यम से कराने के लिये स्वतंत्र होंगे इसी प्रकार यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी नगरीय जल प्रदाय योजनाऐ, जिनका संचालन एवं संधारण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा था, उनका संधारण अमले सहित संबंधित नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जावेगा, तद्नुसार विभाग द्वारा कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। 15 जनवरी 2016 की स्थिति में प्रदेश की केवल 2 जल प्रदाय योजनाओं क्रमशः सीधी एवं झाबुआ को छोड़कर शेष सभी नगरीय योजनाऐं संबंधित नगरीय निकायों द्वारा संचालित–संधारित की जा रही हैं।

3.12.2 सामान्य नगरीय जलप्रदाय योजना कार्यक्रम :–

नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत छिन्दवाड़ा शहर की पेंचव्हेली समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त योजना के स्रोत मंधान बॉध का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा योजनान्तर्गत स्वीकृत शेष सभी अवयव पूर्ण किये जा चुके है ।

3.12.3 नगरीय मल जल निकास योजनाएं :–

ग्वालियर नगर की मल जल निकास योजना, पुनरीक्षित लागत रूपये 58.50 करोड़ के लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गये है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

3.12.4 निक्षेप मद में विभाग द्वारा क्रियान्वित नगरीय योजनाऐं :–

सागर जिले के खुरई नगर एवं औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां की जल प्रदाय योजनायें निक्षेप मद में क्रमशः रुपये 3138.00 लाख एवं रुपये 1035.00 लाख की लागत से विभाग द्वारा क्रियान्वित की गयी है, जिसमें से खुरई नगर की जल प्रदाय योजना निश्चित समयावधि में पूर्ण कर दी गई एवं औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां की योजना का कार्य प्रगति पर है ।

औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां जल प्रदाय योजना (डिपॉजिट वर्क), जिला सागर, योजना में निर्मित आर.सी. सी. उच्च स्तरीय टंकी क्षमता 1000 कि.ली.

औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां जल प्रदाय योजना (डिपॉजिट वर्क), जिला सागर, योजना में निर्मित जल शोधन सयंत्र, क्षमता 2.4 एम.एल.डी.

खुरई नगर आर्वधन जल प्रदाय योजना (डिपॉजिट वर्क) में निर्मित जल शोधन सयंत्र, क्षमता 12.8 एम.एल.डी

खुरई नगर आर्वधन जल प्रदाय योजना (डिपॉजिट वर्क), में निर्मित जल शोधन सयंत्र, क्षमता 12.8 एम.एल.डी, फ्लाकुलेटर

3.12.5 राष्ट्रीय नदी / झील संरक्षण योजना कार्यक्रम :–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निक्षेप कार्य के रूप में विभाग द्वारा 3 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनकी कुल लागत राशि रूपये 10481.00 लाख है, विवरण निम्नानुसार :–

क्र.	योजना का नाम	लागत (रूपये लाख में)
1	शिवपुरी झील संरक्षण योजना जिला शिवपुरी	6951.00
2	बीहर नदी संरक्षण योजना जिला रीवा	2910.00
3	चित्रकूट नदी संरक्षण योजना जिला सतना	620.00

4. भाग – चार

4.1 सामान्य प्रशासनिक विषय

4.1.1 न्यायालयीन प्रकरण :–

दिनांक 31.12.2015 तक विभाग से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में दायर प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्रमांक	न्यायालय	31.12.2015 की स्थिति में प्रकरणों की संख्या
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	260
2	माननीय उच्च न्यायालय	1098
3	माननीय माध्यस्थम् अभिकरण	01
4	माननीय औद्योगिक न्यायालय	76
5	माननीय दावा अभिकरण	
6	माननीय जिला न्यायालय	67
7	माननीय श्रम न्यायालय	350
	कुल योग	**1852**

4.1.2 कर्मचारी कल्याण अभियान :–

पेंशन प्रकरण :–

दिनांक 31.12.15 की स्थिति में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रकरण का विवरण	वर्ष में निरा–करण के लिये शेष पेंशन प्रकरण	**लंबित पेंशन प्रकरणों का वर्गीकरण**		
		विभाग के पास लंबित प्रकरणों की संख्या जो संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को भेजे जाना हैं	संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन को प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या जिनमें अभी तक पी.पी.ओ. जारी नहीं हुई है	न्यायालयीन प्रकरण संस्थित होने के कारण लंबित प्रकरण
1.4.97 से 31.12.2015 तक सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारियों के प्रकरण	73	24	13	36
योग :	73	24	13	36

दिनांक 1.4.97 से पूर्व सेवानिवृत्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का पेंशन प्रकरण लंबित नहीं है।

4.1.3 स्थानान्तरण प्रकरण :–

01.01.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि में विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं स्वयं के व्यय पर किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण का विवरण निम्नानुसार है :

श्रेणी	कुल स्थानान्तरण	निरस्त	ोष स्थानांतरण
प्रथम श्रेणी	43		43
द्वितीय श्रेणी	54		54

4.1.4 विभागीय पदोन्नतियां :–

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका के तहत् पदोन्नतियों पर रोक लगाये जाने के कारण वर्ष 2015 में विभागीय पदोन्नतियॉ नहीं की गई हैं।

4.1.5 विभागीय जाँच प्रकरण :–

दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 की अवधि में लम्बित विभागीय जाँच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:–

प्रथम श्रेणी के 5 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 5 विभागीय जांच प्रकरणों में 4 अधिकारी तथा विभाग स्तर पर प्रचलित विभागीय जांच के 1 प्रकरणों में 1 अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित है।)

द्वितीय श्रेणी के 8 अधिकारियों की विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 1 प्रकरण में 1 अधिकारी पर तथा विभाग स्तर पर प्रचलित विभागीय जांच के 7 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित है।)

तृतीय श्रेणी के 4 अधिकारियों की विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 1 प्रकरण में 1 अधिकारीं पर तथा विभाग स्तर पर प्रचलित विभागीय जांच के 3 प्रकरणों में 3 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित है।

विभाग में प्रथम श्रेणी के 5 अधिकारी विभागीय प्रकरणों में तथा द्वितीय श्रेणी के 5 अधिकारी तथा तृतीय श्रेणी के 9 कर्मचारी अभियोजन के मामलों में निलम्बित हैं।

4.1.6 नियुक्तियाँ :–

वर्ष 2015 में 31.12.2015 तक सीधी भर्ती के पदों पर म.प्र. व्यावसायिक परीक्षण मण्डल भोपाल द्वारा चयनित 169 उपयंत्रियों (सिविल) के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।

4.2 सूचना का अधिकार :–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिये विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त हैं :–

क्रमांक	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1. ाासन स्तर पर	उप सचिव	अवर सचिव (तकनीकी)	सचिव/प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तर पर	अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)	संयुक्त संचालक (लेखा) (संयुक्त संचालक लेखा उपलब्ध न होने पर प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित कार्यपालन यंत्री)	प्रमुख अभियंता
3.परिक्षेत्र स्तर पर	मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण यंत्री (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित)	लेखा अधिकारी (लेखा अधिकारी पदस्थ न होने पर मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित अधिकारी/कर्मचारी)	संबंधित मुख्य अभियंता
4. मंडल कार्यालय/ अधीक्षण यंत्री कार्यालय स्तर पर	अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित सहायक यंत्री	मंडल अधीक्षक (मंडल अधीक्षक उपलब्ध न होने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित कर्मचारी)	मंडल के अधीक्षण यंत्री
5. जिला/खंड कार्यालय स्तर पर	संबंधित खंड के कार्यपालन यंत्री	संभागीय लेखापाल	संबंधित मंडल के अधीक्षण यंत्री
6. उपखंड स्तर पर	सहायक यंत्री	उपयंत्री (मुख्यालय में पदस्थ एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नामांकित)	कार्यपालन यंत्री

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत 01 जनवरी' 2015 से 31 दिसम्बर' 2015 तक 1423 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1212 आवेदनों का निराकरण किया गया। शेष 211 आवेदनों की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, कार्यवाही प्रचलित है।

4.3 वर्ष 2015 में विधानसभा प्रश्नों आदि से सम्बन्धित कार्यों का विवरण :–

वर्ष 2015 में विधान सभा सत्रों की अवधि में माननीय विधायकों द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं एवं स्थगन प्रस्तावों से संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार :–

क्र.	विषय	विधान सभा सत्र फरवरी–मार्च 15		विधान सभा सत्र जुलाई 15		विधान सभा सत्र नवम्बर–दिसम्बर 15	
		कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये
1	विधान सभा प्रश्न	195	195	84	84	79	79
2	ून्यकाल की सूचनाएँ	0	0	0	0	8	8
3	ध्यानाकर्षण सूचनाएँ	0	0	0	0	20	20
4	स्थगन प्रस्ताव	0	0	0	0	0	0

5. भाग – पाँच
अभिनव योजनायें

5.1 बुंदेलखंड विकास विशेष पैकेज :–

भारत सरकार द्वारा बुंदेलखंड विकास विशेष पैकेज के प्रथम चरण में रूपये 100.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 6 जिलों क्रमशः सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह एवं दतिया में पेयजल व्यवस्था हेतु वर्ष 2011 में प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत 1287 लघु नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन लक्षित था। माह दिसंबर 2015 तक कुल 89 योजनाओं के कार्य प्रगति पर थे एवं 1198 योजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं इस वित्तीय वर्ष में शेष योजनाओं के कार्य पूर्ण करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

बुंदेलखंड विकास विशेष पैकेज के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा रूपये 252.47 करोड़ की स्वीकृति पेयजल व्यवस्था हेतु दी गई है। उक्त राशि से बुंदेलखंड क्षेत्र के इन जिलों में 07 समूह नलजल प्रदाय योजनाएं कुल लागत रूपये 330 करोड़ का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा किया जा रहा हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बुंदेलखंड क्षेत्र के 6 जिलों की कुल 196 ग्रामों की 3.50 लाख से अधिक जनसंख्या घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्राप्त कर सकेगी। उक्त योजनाएं मार्च 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

5.2 प्रदेश में 24x7 दिवस जलप्रदाय वाली ग्रामीण नलजल योजनाओं की सफलता की कहानी :–

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के अनेकों ग्रामों में 24 घंटे पेयजल प्रदाय योजना प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था से ग्रामवासियों में अपार हर्ष एवं उल्लास है। ग्राम में पेयजल योजना निर्माण के लिए ग्रामवासियों की पहल पर विभाग द्वारा इन योजनाओं में पाईप लाईन बिछाकर एवं पेयजल टंकी का निर्माण कर ग्रामों में ात–प्रतिशात नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय प्रारंभ किया गया है। पेयजल योजना के अन्तर्गत अनेकों ग्रामों में निर्मित पेयजल टंकियों पर एक–एक सेंसर लगाया गया है जो योजना के अन्तर्गत स्थापित विद्युत पंप को स्वतः चालू/बंद कर देता है एवं योजना से पेयजल व्यवस्था स्वचालित एवं निरंतरित रहती है। इस स्वचालित प्रक्रिया से पेयजल की टंकी सदैव भरी रहती है जिससे ग्रामों की पेयजल व्यवस्था 24 घंटे निरंतर चालू रहती है। ग्राम के सभी वाल्व हमेशा चालू रहते हैं जिससे ग्रामवासियों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध रहता है।

24 घंटे पेयजल प्रदाय के लिए किये गये विशेष प्रयास :– ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संबंध में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विभाग के अभियंताओं ने ग्रामवासियों को इस योजना की जानकारी देकर आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया। इन योजनाओं की सफलता की दिशा में ग्रामवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों की उपस्थिति में ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित कर विभाग के अधिकारियों द्वारा योजना क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। नल कनेक्शन से वंचित परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये हैं। ग्रामों में पेयजल अपव्यय को रोकने के लिए प्रत्येक नल कनेक्शन पर टोंटियां लगवाई गई। योजनाओं के सफल संचालन एवं संधारण के लिये पेयजल उपसमितियों का गठन करवाया गया। पेयजल योजना से प्राप्त आय एवं व्यय को संधारित करने के लिए पेयजल उपसमिति के अध्यक्ष एवं सचिव के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाया गया। योजना के

सुचारू व वर्षभर संचालन के लिए पेयजल उपसमिति को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। पेयजल परीक्षण करने हेतु ग्राम वासियों को फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त पेयजल व स्वच्छता का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से ग्राम में स्कूल रैली, समूह बैठक / चौपाल चर्चा सहित जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियॉ सम्पादित की गई।

24X7 योजना के अन्तर्गत ग्राम–सलवा, ग्राम पंचायत–सलवा विकासखंड–उज्जैन, जिला – उज्जैन में उच्च स्तरीय पेयजल टंकी

24X7 पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम–झलारा, विकासखण्ड सीतामऊ, जिला मन्दसौर में उच्चस्तरीय पेयजल टंकी

24X7 पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम–झलारा, विकासखण्ड सीतामऊ, जिला मन्दसौर घरेलू नल कनेक्शन से लाभान्वित ग्रामवासी

24X7 पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम–केकड़िया, विकासखण्ड फंदा, जिला भोपाल में अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य 37 परिवारों को योजना द्वारा पेयजल प्रदाय

24 घंटे पेयजल प्रदाय योजनाओं से लाभ :— 24 घंटे पेयजल प्रदाय (24x7) से ग्रामों मे खुशहाली का वातावरण निर्मित हो गया। ग्रामवासियों को पेयजल भंडारण करने की एवं पेयजल प्राप्त करने में समय की बाध्यता जो पूर्व में थी वह इन योजनाओं से समाप्त हो गई। सभी नल कनेक्शनों पर टोंटियॉ लग जाने से पेयजल अपव्यय को रोकने में मदद मिली एवं योजनाओं से सभी ग्रामवासियों में जनसहभागिता की भावना विकसित हुई। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य ग्राम जहां ग्रामवासियों/ग्राम पंचायत की इच्छा शक्ति के अभाव में पेयजल योजनाएं बंद/आंशिक चालू रहती है उन्हें ऐसे आदर्श ग्रामों से अपने ग्राम की पेयजल योजनाएं सूचारू रूप से संचालित करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे ग्राम जहां पेयजल संकट है तथा जहां नलजल योजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है उन ग्रामों में ऐसी योजना एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में एवं जनभागीदारी की भावना को विकसित करने का कार्य करेगी।

5.3 सिंहस्थ 2016 में पेयजल व्यवस्था हेतु प्रस्तावित कार्यो का विवरण :

सिंहस्थ 2016 के दौरान पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं गंदे पानी के निष्पादन का दायित्व विभाग को सौंपा गया है। सिंहस्थ 2016 में मेले के दौरान एकत्रित होने वाले संभावित 5 करोड़ साधु/संतों/धर्मालुजनों हेतु आवश्यक पेयजल की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनेकों कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 121.45 एम.एल.डी. जलप्रदाय की व्यवस्था विद्यमान है, किन्तु सिंहस्थ के दौरान 41.00 एम.एल.डी. अतिरिक्त पेयजल की व्यवस्था की जाना होगी। इस हेतु प्रस्तावित समस्त कार्यो का निष्पादन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है

- **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड, उज्जैन द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का विवरण :—**

क्रमांक	मुख्य कार्य	मुख्य कार्यान्तर्गत सम्मिलित अन्य कार्य	रिमार्क
1	गऊघाट पर 6.0 एम.जी.डी. जलशोधन संयंत्र एवं अन्य संबंधित कार्य	1. क्षिप्रा नदी पर विद्यमान इंटेकवेल 5 मी. व्यास, 15 मी. गहराई के सुधार एवं मोडिफिकेशन का कार्य।	पूर्ण
		2. रॉ—वाटर पम्प हेतु 33/3.3 के.व्ही., 200 के. व्ही.ए. विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण।	पूर्ण
		3. 500 मी. व्यास की डी.आई. क्लास के—9, 175 मीटर लंबाई में रॉ—वाटर पम्पिंग मेन का कार्य।	पूर्ण
		4. गऊघाट पर 6.0 एम.जी.डी. क्षमता के जलशोधन संयंत्र का निर्माण।	पूर्ण
		5. क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन पर 3 नग, 9660 एल.पी.एम. डिस्चार्ज व 75 मीटर हेड के सेन्ट्रीफ्यूगल मोटर पम्प का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	पूर्ण
		6. क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन हेतु 33/0.4 के. व्ही. , 315 के.व्ही.ए. के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण।	सरल क्रं. 2 व क्रं. 6 को सम्मिलित करते हुए व विद्यमान उपकेन्द्र की आवश्यकतानुसार 33/0.4 के.व्ही., 2000 के.व्ही.ए. विद्युत उपकेन्द्र का कार्य पूर्ण।

क्रमांक	मुख्य कार्य	मुख्य कार्यान्तर्गत सम्मिलित अन्य कार्य	रिमार्क
		7. 500 मि.मी. व्यास के डी.आई. क्लास के–9 के 300 मी. लंबाई में बिछाने का कार्य।	पूर्ण
2	साहिबखेड़ी पर 1.75 एम.जी.डी. क्षमता के जलशोधन संयंत्र का निर्माण एवं संबंधित कार्य।	1. रॉ–वाटर पम्प स्थापना हेतु प्लेटफार्म का निर्माण।	पूर्ण
		2. रॉ–वाटर पम्प्स हेतु पम्प हाऊस का निर्माण।	पूर्ण
		3. रॉ–वाटर हेतु केनाल पर इनलेट स्ट्रक्चर मय सम्पवेल का निर्माण।	आवश्यक नहीं। सरल क्रमांक 1 में सम्मिलित।
		4. रॉ–वाटर हेतु साहिबखेडी तालाब पर 3 नग 3000 एल.पी.एम. डिस्चार्ज व 26 मीटर हेड के पंप का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	पूर्ण
		5. रॉ–वाटर हेतु कैनाल पर 3 नग 3000 एल.पी. एम. डिस्चार्ज व 9 मीटर हेड के पम्प का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	आवश्यक नहीं। सरल क्रमांक 4 में सम्मिलित।
		6. रॉ–वाटर हेतु 33/0.4 के.व्ही., 100 के.व्ही.ए. के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य।	पूर्ण
		7. रॉ–वाटर हेतु 300 मि.मी. व्यास की डी.आई. क्लास के–9 1400 मीटर लंबाई में रॉ–वाटर पम्पिंग मेन का कार्य।	पूर्ण
		8. साहिबखेडी पर 1.75 एम.जी.डी. के जलशोधन संयंत्र का निर्माण कार्य।	पूर्ण
		9. क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन हेतु 2837 एल.पी. एम. डिस्चार्ज व 77 मीटर हेड के 3 नग सेन्ट्रीफ्यूगल मोटर पम्प का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	पूर्ण
		10. क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन हेतु 33/0.4 के.व्ही., 200 के.व्ही.ए. के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण।	पूर्ण
		11. क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन हेतु विद्यमान 300 मि.मी. व्यास की सी.आई. पम्पिंग मेन का सुधार कार्य।	पूर्ण
3	गंभीर नदी पर नवीन इंटेकवेल का निर्माण।	1. 12 मी. व्यास एवं 20.5 मीटर गहराई का आर. सी.सी. इंटेकवेल, 12 मी. व्यास व 4 मीटर ऊंचाई का पाईप फ्लोर तथा 12 मी. व्यास व 5.5 मीटर ऊंचाई के मोटर फ्लोर का निर्माण।	पूर्ण
		2. पुराने इंटेकवेल से 2 नग 12.50 एम.जी.डी. के पम्प्स को निकालकर नवीन इंटेकवेल मे स्थापना का कार्य।	सभी पम्पस् शिफ्ट किये जा रहे है।
4	विद्यमान गऊघाट जलशोधन संयंत्रो का सुधार एवं मोडिफिकेशन का कार्य।	1. क्षिप्रा नदी के विद्यमान इंटेकवेल मे 3 नग, 10140 एल.पी.एम. डिस्चार्ज एवं 23 मीटर हेड के व्ही.टी. पम्प लगाने का कार्य।	पूर्ण
		2. गऊघाट के विद्यमान क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन के 2 पुराने पंप निकालकर नवीन 9660 एल.पी.एम. डिस्चार्ज व 75 मीटर हेड के नवीन पम्प लगान का कार्य।	पूर्ण

क्रमांक	मुख्य कार्य	मुख्य कार्यान्तर्गत सम्मिलित अन्य कार्य	रिमार्क
		3. गऊघाट के 2 विद्यमान जलशोधन संयंत्रो में फिल्टर मीडिया बदलना, संयंत्र की मरम्मत, वाल्वस् का सुधार कार्य, पुताई कार्य एवं अन्य सुधार कार्य।	पूर्ण
		4. अम्बोदिया के 2 विद्यमान जलशोधन संयंत्रो में फिल्टर मीडिया बदलना, संयंत्र की मरम्मत, वाल्वस् का सुधार कार्य, पुताई कार्य एवं अन्य सुधार कार्य।	पूर्ण
		5. गंभीर के विद्यमान इंटेकवेल में 19320 एल.पी.एम. डिस्चार्ज व 28 मीटर हेड के रॉ–वाटर व्ही. पम्प का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	पूर्ण (नवीन इंटेक में)
		6. अम्बोदिया के विद्यमान क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन के 2 पुराने पम्प निकालकर 2 नवीन पम्प क्रमशः 15764 एल.पी.एम., 23646 एल.पी.एम. डिस्चार्ज व 110 मीटर हेड के सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प का प्रदाय व स्थापना कार्य।	पूर्ण
		7. विद्यमान रॉ–वाटर विद्युत उपकेन्द्र के 2 नग 33/0.4 के.व्ही., 630 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य।	पूर्ण
5	गढ़कालिका क्षेत्र में आर.सी.सी. टंकी निर्माण एवं अन्य कार्य।	1. विद्यमान पम्पिंग मेन से प्रस्तावित टंकी तक 150 मि.मी. व्यास की डी.आई. क्लास के–9 की 850 मीटर लंबाई में पम्पिंग मेन का कार्य।	पूर्ण
		2. प्रस्तावित टंकी के समीप 50 कि.ली. क्षमता के आर.सी.सी. सम्पवेल मय पम्प हाऊस का निर्माण।	पूर्ण
		3. 250 कि.ली. क्षमता व 15 मीटर ऊंचाई की आर.सी.सी. टंकी का निर्माण।	पूर्ण
		4. प्रस्तावित सम्प में 2 नग 1042 एल.पी.एम. डिस्चार्ज व 25 मीटर हेड सेन्ट्रीफ्यूगल मोटर पम्प का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	पूर्ण
		5. परिसर विकास के कार्य जैसे फेन्सिंग, पेवर ब्लॉक इत्यादि।	पूर्ण
6	मेला क्षेत्र में जलप्रदाय हेतु पाईप लाईन का कार्य।	1. संपूर्ण मेला क्षेत्र में 350 मि.मी. से 500 मि.मी. व्यास की 12 कि.मी. लंबाई में डी.आई. क्लास के–7 की जल वितरण नलिकाएं बिछाने का कार्य।	पूर्ण
		2. 110 मि.मी. से 315 मि.मी. व्यास की एच.डी.पी.ई., पी.ई.–100, पी.एन.–8 पाईप की 116 कि.मी. लंबाई में जल वितरण नलिकाएं बिछाने का कार्य।	पूर्ण
		3. संपूर्ण मेला क्षेत्र में 525 पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण।	प्रगतिरत
		4. संपूर्ण मेला क्षेत्र में 8000 टेप कनेक्शन का कार्य।	प्रगतिरत

क्रमांक	मुख्य कार्य	मुख्य कार्यान्तर्गत सम्मिलित अन्य कार्य	रिमार्क
7	विद्यमान एवं प्रस्तावित नलकूपों पर पॉवर पम्प का कार्य।	1. मेला क्षेत्र/शहर में 30 नवीन नलकूपों का खनन कार्य।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		2. मेला क्षेत्र/शहर के विद्यमान 25 नलकूपों का सफाई कार्य।	पूर्ण
		3. मेला क्षेत्र/शहर में विद्यमान/प्रस्तावित नलकूपों पर 150 मि.मी. व्यास के 40 पम्पस्, 100 मि.मी. व्यास के 50 पम्पस् थ्री–फेस व 100 मि. मी. व्यास के 25 पम्पस् सिंगल फेस का प्रदाय	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		4. उपरोक्त पम्पस् स्थापना हेतु जी.आई./एच.डी. पी.ई. पाईप, केबल एवं अन्य संबंधित कार्य।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
8	विद्यमान एवं प्रस्तावित नलकूपों पर हैण्डपंप स्थापना का कार्य।	1. मेला क्षेत्र/शहर में 40 नवीन नलकूपों का खनन कार्य।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		2. मेला क्षेत्र/शहर में विद्यमान 60 नलकूपों का सफाई कार्य।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		3. मेला क्षेत्र/शहर की क्षतिग्रस्त 150 हैण्डपंप सेट बदलने का कार्य।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		4. मेला क्षेत्र में शहर के क्षतिग्रस्त 50 प्लेटफार्म का निर्माण।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		5. मेले के दौरान उपरोक्त व्यवस्था का संचालन/संधारण कार्य।	मेले के दौरान
9	सिंहस्थ के दौरान पेयजल व्यवस्था के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था।	1. मेले में प्रस्तावित प्लाट्स हेतु पानी के कनेक्शन हेतु 15 मि.मी. से 63 मि.मी. व्यास के एम.डी.पी.ई. पाईप, 400 कि.मी. लंबाई में बिछाने का कार्य।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		2. मेले में प्रस्तावित प्लाट्स हेतु पानी के कनेक्शन हेतु 15 मि.मी. से 50 मि.मी. व्यास के जी.आई. पाईप 25 कि.मी. बिछाने का कार्य।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		3. उपरोक्त पाईपस् हेतु स्पेशल्स् का प्रदाय।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		4. मेला क्षेत्र में 2000 लीटर क्षमता की 400 नग एवं 5000 लीटर क्षमता की 1000 नग एच.डी.पी. ई. टंकियॉ मय एम.एस. स्टैण्ड लगाने का कार्य।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		5. मेले के दौरान संचालन/संधारण हेतु 32 नग डिवाटरिंग पम्पस् का प्रदाय। जलप्रदाय एवं गंदे पानी के निष्पादन हेतु।	मेले के दौरान आवश्यक
		6. एच.डी.पी.ई. पाईप के ज्वाईंटिंग हेतु 2 नग वेल्डिंग मशीन का प्रदाय।	मेले के दौरान आवश्यक
		7. सीवर के मेनहोल क्लिनिंग हेतु 2 नग ट्राली माऊण्टेड ड्रेजर पम्प का प्रदाय।	मेले के दौरान आवश्यक
		8. जल वितरण नलिकाओं में प्रेशर वृद्धि हेतु 17 नग बूस्टिंग पंपस् का प्रदाय।	मेले के दौरान आवश्यक
		9. जल वितरण नलिकाओं में सुधार कार्य हेतु आवश्यक टी. एण्ड पी., स्पेशल्स्, किराये के जनरेटर सेट लगाना इत्यादि कार्य।	मेले के दौरान आवश्यक

क्रमांक	मुख्य कार्य	मुख्य कार्यान्तर्गत सम्मिलित अन्य कार्य	रिमार्क
10.	सिंहस्थ हेतु नवनिर्मित जलशोधन संयंत्रो एवं अन्य अवयवों का मेले के दौरान संचालन / संधारण कार्य।	1. सिंहस्थ हेतु नवीन निर्मित 2 जलशोधन संयंत्र क्रमशः 27.25 एम.एल.डी. व 8 एम.एल.डी. का संचालन / संधारण जिसमें आवश्यक केमिकल्स, स्टॉफ व विद्युत व्यय सम्मिलित है।	मेले के दौरान आवश्यक
		2. सिंहस्थ हेतु नवीन निर्मित 2 रॉ–वाटर व 2 क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन का संचालन / संधारण जिसमें स्टॉफ व विद्युत व्यय सम्मिलित है।	मेले के दौरान आवश्यक
11	मेले के दौरान उत्पन्न होने वाले गंदे पानी का निष्पादन।	1. संपूर्ण मेला क्षेत्र में 135 मि.मी. से 500 मि.मी. व्यास के 119.8 कि.मी. सीवर बिछाने का कार्य।	पूर्ण
		2. मेला क्षेत्र में प्रस्तावित प्लाट्स से सीवर के मेनहोल तक कनेक्शन हेतु 100 मि.मी. व्यास के डी.डब्ल्यू.सी. पाईप लगभग 95 कि.मी. लंबाई में बिछाने का कार्य।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		3. मेला क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले गंदे पानी के निष्पादन हेतु सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य इसमें 6 आर.सी.सी. सम्प, 29 नग सीवेज पम्पस् प्रदाय व स्थापना कार्य।	पूर्ण
		4. सीवेज पम्पिंग हेतु 100 मि.मी. से 700 मि.मी. व्यास की डी.आई. क्लास के–9 पम्पिंग मेन 9 कि.मी. लंबाई में बिछाने का कार्य।	पूर्ण
		5. मेला क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले गंदे पानी के निष्पादन हेतु 23 नग कच्चे सम्प का निर्माण।	प्रगतिरत
12	स्थाई व्यवस्था अंतर्गत सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं अन्य विविध कार्य।	1. मेला क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले गंदे पानी के निष्पादन हेतु सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य, इसमें आर.सी.सी. सम्प, 5 नग सीवेज पम्पस् का प्रदाय व स्थापना कार्य।	पूर्ण
		2. सीवेज पम्पिंग हेतु 700 मि.मी. व्यास की डी. आई. क्लास के–9 पम्पिंग मेन 1.7 कि.मी. लंबाई में बिछाने का कार्य।	पूर्ण
		3. पम्पिंग स्टेशन हेतु 33 / 0.4 के.व्ही., 2 x 315 के.व्ही.ए. विद्युत उपकेन्द्र का कार्य।	प्रगतिरत
13	विद्यमान जलशोधन संयंत्र के नवीन सम्प का निर्माण।	1. अम्बोदिया स्थित विद्यमान जलशोधन संयंत्र स्थित विद्यमान सम्प के क्षतिग्रस्त सम्प के स्थान पर नवीन आर.सी.सी. सम्प एवं 5.35 मीटर ऊंचाई के आर.सी.सी. सम्पवेल का निर्माण।	पूर्ण
14	गंदे पानी का परिवहन के माध्यम से निष्पादन।	1. मेला क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले गंदे पानी के निष्पादन हेतु प्रस्तावित 23 कच्चे सम्प से 110 टैंकर्स के माध्यम से निष्पादन प्रस्तावित है।	मेले के दौरान
		2. इस कार्य में 12000 लीटर क्षमता के ट्रक माऊण्टेड मय पम्प के 60 टैंकर्स, 20000 लीटर क्षमता के ट्रक माऊण्टेड पम्प सहित 30 टैंकर्स तथा 5000 लीटर क्षमता के ट्रैक्टर माऊण्टेड पम्प सहित 20 नग किराये के टैंकर्स लगाये जाना प्रस्तावित है।	मेले के दौरान

गढ़कालिका मेला क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु आर.सी.सी.
उच्च स्तरीय टंकी निर्माण एवं अन्य कार्य – उज्जैन

साहिब खेड़ी में पेयजल व्यवस्था हेतु जल शुद्धिकरण संयंत्र – उज्जैन

* **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्रामीण खण्ड, उज्जैन द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का विवरण:–**

क्रमांक	मुख्य कार्य	मुख्य कार्यान्तर्गत सम्मिलित अन्य कार्य	रिमार्क
1	क्षिप्रा नदी के 5 बैराजेस का संधारण कार्य :– क्षिप्रा नदी पर 5 बैरेजेस निर्मित है, जो कि क्रमशः गऊघाट, त्रिवेणी, किठोदा, चिमली व पिलौदा हैं। ये बैरेजेस उज्जैन शहर की पुरानी पेयजल योजना अंतर्गत बनाये गये थे।	1. बैरेजेस के अपस्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम प्रोटेक्शन के कार्य क्षतिग्रस्त होने से उन्हें तोड़कर नवीन निर्माण कार्य।	पूर्ण
		2. रिवर बेड प्रोटेक्शन कार्य :– बैरेजेस के डाऊन स्ट्रीम के एप्रोन क्षतिग्रस्त थे उन्हें आवश्यकतानुसार नवीन निर्माण व स्ट्रेथनिंग का कार्य किया गया।	पूर्ण
		3. बैरेजेस के अंडर स्लूस व एम.एस. कडी शटर्स का डेटिंग पेन्टिंग व रबर सील बदलने का कार्य किया गया।	पूर्ण
		4. गऊघाट बैरेज के लकड़ी के क्षतिग्रस्त कड़ी शटर के स्थान पर नवीन एम.एस. के कड़ी शटर (गेट) लगाने का कार्य।	पूर्ण
		5. 3 बैरेजेस के समीप कड़ी शटर कम चौकीदार रूम का निर्माण।	पूर्ण
		6. 2 बैरेजेस के समीप चौकीदार रूम का निर्माण।	पूर्ण

क्रमांक	मुख्य कार्य	मुख्य कार्यान्तर्गत सम्मिलित अन्य कार्य	रिमार्क
2	चिंतामण गणेश मंदिर पर आर.सी.सी. टंकी व अन्य संबंधित कार्य।	1. गऊघाट विद्यमान जलशोधन संयंत्र से चिंतामण गणेश मंदिर के समीप प्रस्तावित टंकी तक 150 मि.मी. व्यास के पाईप लाईन बिछाने का कार्य।	पूर्ण
		2. चिंतामण गणेश मंदिर के समीप 150 कि.ली. क्षमता की 15 मीटर ऊंचाई पर आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी का निर्माण कार्य।	पूर्ण
		3. प्रस्तावित टंकी के समीप 25 कि.ली. क्षमता का आर.सी.सी. सम्पवेल निर्माण कार्य।	पूर्ण
3	गऊघाट पर रेस्ट हाऊस का निर्माण।	1. सिंहस्थ के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण व पर्यवेक्षण हेतु 4 सूट के रेस्ट हाऊस का निर्माण।	पूर्ण
4	पंचक्रोशी यात्रा हेतु पेयजल व्यवस्था पंचक्रोशी के 7 पड़ावों एवं 118 कि.मी. लंबी यात्रा मार्ग में प्रस्तावित कार्य	1. 52 नग नलकूपों का खनन प्रस्तावित है।	पूर्ण
		2. विद्यमान एवं प्रस्तावित स्त्रोतों पर 160 नग सबमर्सिबल मोटर पम्प्स का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		3. पिंगलेश्वर, करोहन, नलवा व जैथल पडाव पर 100 कि.ली. क्षमता 12 मीटर ऊचाई की आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।	पूर्ण
		4. 90 मि.मी. से 160 मि.मी. व्यास की 42 कि.मी. लंबाई में पाईप लाईन का कार्य।	पूर्ण
		5. पानी पीने हेतु 20 टोटियों के 230 नग पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट का कार्य।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		6. नहाने हेतु 20 फीट लंबे 105 नग ाावर्स का निर्माण।	आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।
		7. पेयजल परिवहन हेतु 12000 से 20000 लीटर के ट्रक माऊण्टेड पम्प सहित आवश्यकतानुसार टैंकर्स किराये पर लगाने का कार्य।	मेले के दौरान
5	सेटेलाइट टाऊन में जल व्यवस्था।	1. प्रस्तावित 7 सेटेलाइट टाऊन में आवश्यकतानुसार 1 से 2 नलकूप खनन कर पॉवर पम्प स्थापित कर 5000 लीटर की एच.डी.पी.ई. टंकियाँ स्थापित कर 10 टोटियों के पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।	कार्यस्थल उपलब्ध नहीं

क्रमांक	मुख्य कार्य	मुख्य कार्यान्तर्गत सम्मिलित अन्य कार्य	रिमार्क
		2. 10 नलकूपों का खनन प्रस्तावित है।	कार्यस्थल उपलब्ध नहीं
		3. 10 सबमर्सिबल पम्प प्रदाय एवं स्थापना का कार्य प्रस्तावित है।	कार्यस्थल उपलब्ध नहीं
		4. 90 मि.मी. से 110 मि.मी. व्यास की 13.10 कि.मी. लंबाई में पाईप लाईन प्रस्तावित है।	आंशिक पूर्ण
		5. 2000 लीटर क्षमता की 74 एच.डी.पी.ई. टंकिया प्रस्तावित है।	कार्य स्थल उपलब्ध नहीं
		6. 37 नग, 10 टोटियों के पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट प्रस्तावित है।	कार्यस्थल उपलब्ध नहीं
		7. गंदे पानी के निष्पादन हेतु 150 मि.मी. व्यास की 2.01 कि.मी. लंबाई में सीवर प्रस्तावित है।	कार्यस्थल उपलब्ध नहीं
		8. जलप्रदाय हेतु 12000 लीटर क्षमता के ट्रक माऊण्टेड पम्प सेट सहित किराये का 1 टैंकर प्रत्येक सेटेलाइट टाऊन पर लगाया जाना प्रस्तावित है।	मेले के दौरान
		9. गंदे पानी के निष्पादन हेतु 12000 लीटर क्षमता के ट्रक माऊण्टेड पम्प सेट सहित किराये का 1 टैंकर प्रत्येक सेटेलाइट टाऊन पर लगाया जाना प्रस्तावित है।	मेले के दौरान
6	सिंहस्थ के दौरान जल गुणवत्ता सुनिश्चित करना।	1. सिंहस्थ के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में प्रस्तावित जलप्रदाय की जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रतिदिन संपूर्ण मेला क्षेत्र के विभिन्न 50–60 स्थानो से वाटर सेम्पल प्राप्त कर जल की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।	मेले के दौरान

✷ **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खण्ड, नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का विवरण :—**

क्रमांक	मुख्य कार्य	मुख्य कार्यान्तर्गत सम्मिलित अन्य कार्य	रिमार्क
1	रूद्रसागर से गंदे पानी का निष्पादन।	1. रूद्रसागर से विद्यमान चक्रतीर्थ पम्पिंग स्टेशन/क्षिप्रा नदी तक 1600 मि.मी. व्यास की जी.आर.पी. पाईप लाईन 1100 मीटर लंबाई में बिछाने का कार्य।	पूर्ण
2	उण्डासा प्लांट के लिये पम्पिंग मेन का कार्य।	2. प्रस्तावित सम्पवेल (दशहरा मैदान टंकी) से उण्डासा जलशोधन संयंत्र तक 300 मि.मी. व्यास की डी.आई. क्लास के–9 की 5850 मीटर लंबाई में पाईप लाईन का कार्य।	पूर्ण
		3. विद्यमान दशहरा मैदान टंकी पर 900 कि.ली. क्षमता के आर.सी.सी. सम्पवेल मय पम्प हाऊस का निर्माण।	पूर्ण
		4. प्रस्तावित सम्पवेल पर 3 नग 1600 एल.पी.एम. डिस्चार्ज एवं 65 मीटर हेड के सेन्ट्रीफ्यूगल मोटर पम्पस् का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	पूर्ण
3	मंगलनाथ मेला क्षेत्र में पम्पिंग मेन का कार्य।	1. विद्यमान पम्पिंग मेन से आगर रोड पर प्रस्तावित टंकी तक 300 मि.मी. व्यास की 2400 मीटर लंबाई में डी.आई. क्लास के–9 पम्पिंग मेन बिछाने का कार्य।	पूर्ण
4	मंगलनाथ मेला क्षेत्र (आगर रोड) पर टंकी निर्माण।	1. मंगलनाथ क्षेत्र हेतु 600 कि.ली. क्षमता व 20 मीटर ऊंचाई की आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी का निर्माण कार्य।	पूर्ण
5	उजडखेडा मेला क्षेत्र पर टंकी का निर्माण।	1. उजडखेडा मेला क्षेत्र हेतु 250 कि.ली. क्षमता व 15 मीटर ऊंचाई की आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी का निर्माण कार्य।	पूर्ण
6	उजडखेडा मेला क्षेत्र में प्रस्तावित टंकी हेतु पम्पिंग मेन का कार्य।	1. विद्यमान गंभीर की पम्पिंग मेन से उजडखेडा में प्रस्तावित आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी भरने हेतु 250 मि.मी. व्यास की पी.व्ही.सी. क्लास 10 कि./वर्ग से.मी. की 2000 मीटर लंबाई में पम्पिंग मेन बिछाने का कार्य।	पूर्ण
7	उण्डासा जलशोधन संयंत्र एवं अन्य अवयवों का कार्य।	1. रॉ–वाटर पम्पिंग स्टेशन पर 2 नग पुराने पम्पस् के स्थान पर 1690 एल.पी.एम. डिस्चार्ज व 45 मीटर हेड के पम्प का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	पूर्ण
		2. विद्यमान 4.54 एम.एल.डी. क्षमता के जलशोधन संयंत्र के क्षतिग्रस्त फ्लाक्युलेटर का निर्माण, फिल्टर मिडिया बदलने का कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की क्षतिग्रस्त छत के स्थान पर नवीन छत का कार्य, वाल्वस् रिपेयरिंग का कार्य एवं विविध सुधार कार्य।	पूर्ण
		3. विद्यमान क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन के पुराने पम्प्स के स्थान पर 2 नग 1610 एल.पी.एम. डिस्चार्ज एवं 30 मीटर हेड के पम्प्स का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	पूर्ण
8	क्षिप्रा नदी पर फ्लोटिंग इंटेक का कार्य।	1. क्षिप्रा नदी से आवश्यकतानुसार रॉ–वाटर प्राप्त करने हेतु फ्लोटिंग प्लेटफार्म का निर्माण कार्य।	प्रगतिरत
		2. फ्लोटिंग प्लेटफार्म पर 2 नग 15765 एल.पी.एम. डिस्चार्ज व 25 मी. हेड के उपलब्ध पम्पस् का स्थापना कार्य।	प्रगतिरत

क्रमांक	मुख्य कार्य	मुख्य कार्यान्तर्गत सम्मिलित अन्य कार्य	रिमार्क
		3. फ्लोटिंग इंटेक से विद्यमान पम्पिंग मेन तक एच. डी.पी.ई. की उपलब्ध पम्पिंग मेन बिछाने का कार्य।	पूर्ण
9	उज्जैन शहर की गंदे पानी के निष्पादन की योजना का सुधार कार्य।	1. विद्यमान 9 पम्पिंग स्टेशनस् के क्षतिग्रस्त विभिन्न क्षमता के 11 मोटर पम्प सेटस् बदलने का कार्य।	पूर्ण
		2. ाहर की विद्यमान सीवर का सफाई कार्य।	पूर्ण
		3. विद्यमान 52.5 एम.एल.डी. क्षमता के सदावल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डि–सिल्टिंग व सुधार कार्य।	प्रगतिरत
10	गऊघाट जलशोधन संयंत्र से विद्यमान गुदरी टंकी तक पम्पिंग मेन का कार्य।	1. गऊघाट पर नवीन निर्मित 27.24 एम.एल.डी. क्षमता के जलशोधन संयंत्र से विद्यमान गुदरी टंकी तक 500 मि.मी. व्यास की 1500 मीटर लंबाई में डी. आई. क्लास के–9 की पम्पिंग मेन का कार्य।	पूर्ण
11	भरतपुरी एवं भेरूगढ़ टंकी पर नवीन पम्पिंग स्टेशन का निर्माण।	1. विद्यमान भरतपुरी एवं भेरूगढ़ टंकी पर क्रमशः 300 एवं 900 कि.ली. क्षमता के आर.सी.सी. सम्पवेल का निर्माण कार्य।	पूर्ण
		2. विद्यमान भरतपुरी एवं भेरूगढ़ टंकी पर प्रस्तावित सम्पवेल में 3–3 नग 1260 एल.पी.एम. डिस्चार्ज व 30 मीटर हेड तथा 3780 एल.पी.एम. डिस्चार्ज व 30 मीटर हेड के सेन्ट्रीफ्यूगल पंप।	पूर्ण
		3. सम्प से टंकी जोडने का कार्य।	प्रगतिरत
		4. विद्यमान भरतपुरी एवं भेरूगढ़ के प्रस्तावित पम्पिंग स्टेशन हेतु 50 के.व्ही.ए. एवं 63 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य।	पूर्ण
12	गऊघाट नवीन जलशोधन संयंत्र से त्रिवेणी विहार/त्रिवेणी तक पम्पिंग मेन का कार्य।	1. गऊघाट नवीन जलशोधन संयंत्र से त्रिवेणी विहार तक 500 मि.मी. व्यास की 6500 मी. लंबाई व 150 मि.मी. व्यास की 1200 मी. लंबाई में त्रिवेणी शनि मंदिर तक डी.आई. क्लास के–9 की पम्पिंग मेन का कार्य।	पूर्ण
13	सिंहस्थ हेतु कर्मचारियों के रूकने की व्यवस्था।	1. शहर की 4 विद्यमान टंकियो के नीचे कमरों का निर्माण कार्य।	प्रगतिरत
14	सिंहस्थ के दौरान जल परिवहन कार्य।	1. सिंहस्थ के दौरान मेला क्षेत्र एवं शहर में आवश्यकतानुसार जलप्रदाय करने हेतु 12000 लीटर क्षमता के ट्रक माऊण्टेड मय पम्प के 30 टैंकर 5000 लीटर क्षमता के ट्रेक्टर माऊण्टेड मय पम्प के 20 टैंकर किराये पर लगाये जाने का कार्य।	मेले के दौरान
15	सिंहस्थ के दौरान शहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था।	1. सिंहस्थ हेतु विभिन्न विभागों के संयोजित किये जाने वाले अमले को उज्जैन शहर की विभिन्न धर्मशालाओं/कॉलेज/स्कूल में रूकवाया जायेगा। इन स्थानों पर आवश्यक पेयजल व्यवस्था का कार्य।	प्रगतिरत
		2. उज्जैन शहर में सिंहस्थ के दौरान विभिन्न स्थानों पर पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट/प्याऊ की व्यवस्था के कार्य।	प्रगतिरत
16	सिंहस्थ के दौरान जलप्रदाय व्यवस्था करने का कार्य।	1. उज्जैन शहर की विद्यमान जलप्रदाय व्यवस्था जैसे– रॉ एवं क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन्स, विद्युत उपकेन्द्र व पम्पिंग मेन में शेष रहे आवश्यक सुधार कार्य।	प्रगतिरत
		2. उज्जैन शहर की विद्यमान टंकियो के स्लूस वाल्व बदलने/सुधार कार्य।	प्रगतिरत

माननीय सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विभाग के अधिकारियों के साथ पेयजल व्यवस्था कार्यों के निरीक्षण के दौरान मीडिया से चर्चा–उज्जैन

माननीय सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विभाग के अधिकारियों के साथ पेयजल व्यवस्था कार्यों का निरीक्षण–उज्जैन

गऊघाट स्थित मौजूदा जल उपचार संयंत्र का नवीनीकरण–उज्जैन

6 राज्य जल सहायता संगठनः–

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2009 से प्रभावी तथा माह अगस्त 2013 में संशोधित मार्गदर्शिका में दिए गये निर्देशानुसार प्रदेश में ''राज्य पेयजल मिशन'' के अंतर्गत ''जल सहायता संगठन'' कार्यरत है। इस संगठन के अंतर्गत सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः मानव संसाधन विकास, सूचना शिक्षा एवं संचार, जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी, सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास, अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। जल सहायता संगठन के अंतर्गत संविदा आधार पर स्वीकृत एवं भरे हुये पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे गये पद
अ. राज्य स्तर			
1.	संचालक, जल सहायता संगठन	1 पद	1 पद
2.	राज्य स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार)	1 पद	1 पद
3.	राज्य स्तरीय सलाहकार (भूजल विद्)	1 पद	1 पद
4.	राज्य स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	1 पद	
5.	राज्य स्तरीय सलाहकार (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी)	1 पद	1 पद
6.	लेखापाल	1 पद	
7.	डाटा इंट्री आपरेटर	1 पद	1 पद

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे गये पद
ब. जिला स्तर			
1.	जिला स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास)	50 पद	39 पद
2.	जिला स्तरीय सलाहकार (सूचना, शिक्षा एवं संचार)	50 पद	42 पद
3.	जिला स्तरीय सलाहकार (भूजल विद्)	50 पद	20 पद
4.	जिला स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	50 पद	15 पद
स. विकासखण्ड स्तर			
1.	विकासखण्ड स्तरीय संयोजक (तकनीकी)	313 पद	262 पद
	कुल पद	**519**	**382 पद**

विभाग के भोपाल स्थित गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड को अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में मान्य किया गया है। राज्य तकनीकी एजेंसीज (State Technical Agencies) का चयन एवं विभागीय योजनाओं के परीक्षण, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु समन्वय भी इस संगठन द्वारा किया जाता है। राज्य तकनीकी एजेंसीज (एस.टी.ए.) के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.ए.एन.आई.टी.), भोपाल, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैप कास्ट), भोपाल एवं श्री गोविन्दराम सेक्सेरिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.जी.एस.आई.टी.एस.), इंदौर को चयनित किया गया है।

जल सहायता संगठन के द्वारा मुख्य रूप से संपादित की जाने वाली सहायक गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. **मानव संसाधन विकास गतिविधियां** : मानव संसाधन विकास के अंतर्गत, विभाग के कार्यालयीन एवं अन्य मैदानी अमले का क्षमतावर्धन, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय तथा पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों की क्षमतावर्धन एवं उन्मुखीकरण कर उन्हेंविभागीय गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

ग्राम अचपई, विकासखण्ड सोंडवा, जिला अलीराजपुर में ग्रामीणों को पेयजल एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में प्रशिक्षण

विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर तद्नुसार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण राज्य स्तर, परिक्षेत्र स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर तक किया जाता है।

लाभांवित समुदाय द्वारा योजनाऐं संचालित एवं संधारित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम हेतु ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 जनवरी 2015 में प्रकाशित होने से अब ये समितियाँ पेयजल उप समिति होगीं। इन समितियों के सदस्यों को पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कैस्केड मोड में प्रशिक्षित किया गया है। इस वर्ष 31.12.2015 तक संपादित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	जिला स्तरीय कंसलटेंट का प्रशिक्षण	116
2.	विकासखंड स्तरीय समन्वयकों (तकनीकी) का प्रशिक्षण	262
3.	विभागीय अभियंताओं/ कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	7063
4.	पेयजल उप समितियों के सदस्यों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	26532
5.	फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मैदानी अमला/ पंचायती राज सदस्यों का प्रशिक्षण	28450

2. सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के प्रचार–प्रसार एवं शुद्ध पेयजल के उपयोग से लाभों की जानकारी को प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां संपादित की जाती हैं। इन गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की एक समिति गठित की गई है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, चलचित्र प्रसारण, जागरूकता रथ का भ्रमण, रेडियो/केबल टी. व्ही. का प्रसारण, ग्रामीण सहभागिता आंकलन (पी.आर.ए.), होर्डिंग्स, नारा लेखन, ग्राम सभा, वार्ड सभा इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

इस वर्ष प्रदेश के सभी जिलों में सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ संपादित की गई हैं :–

क्र.	गतिविधियाँ	संख्या
1	जिला स्तरीय कार्यशाला	98
2	विकासखंड स्तरीय कार्यशाला	614
3	मेला/प्रदर्शनी आयोजन	239
4	आई.ई.सी.वेन/रथ	347
5	होर्डिंग/बैनर / पोस्टर्स	28236
6	दीवार लेखन	11611
7	रेडियो /केबिल प्रसारण व एस.एम.एस.	10744
8	ग्राम सभा /ग्रुप मीटिंग	33624
9	स्कूल रैली / वाद–विवाद/ निबंध	16951

क्र.	गतिविधियाँ	संख्या
10	चलचित्र प्रसारण	1124
11	आई.पी.सी./गृह भेंट	24653
12	नुक्कड़ नाटक/गायन एवं नाट्य कार्यक्रम	1709
13	प्रचार–प्रसार पत्र (पैम्फलेट्स) वितरण	124864
14	पी.आर.ए.	2943
15	उद्घोषणा (पी.ए.सिस्टम द्वारा)	31876

प्रचार–प्रसार गतिविधियों को आवश्यकतानुसार गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से भी कराया जाता है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर राज्य स्तर से गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को सूचीबद्ध (इम्पेनलमेंट) किया गया है।

ग्राम हर्राखेड़ा, विकासखण्ड बैरसिया, जिला भोपाल में पेयजल जागरुकता हेतु स्कूल रैली का आयोजन

आदर्श ग्राम फंदा कला, विकासखण्ड फंदा, जिला भोपाल में आशा ए.एन.एम व अन्य मैदानी कार्यकर्ताओं की बैठक सह प्रशिक्षण

3. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां :—

ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहायक गतिविधियों के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2015—16 में म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मैपकास्ट) भोपाल एवं बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस (BITS), राँची के सहयोग से हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजीकल मैप्स (एच.जी.एम.नक्शों) को अद्यतन किया जा रहा है, जिसमें वाटर क्वालिटी लेयर को भी अंकित किया जा रहा है।

7. जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम :—

जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम अंतर्गत किये जा रहे कार्य :—

पेयजल की गुणवत्ता के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2015—16 में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये :—

- ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा प्रदाय किये जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल परीक्षण प्रयोगशालाऐं स्थापित की गई हैं। प्रदेश में 51 जिला स्तरीय तथा 104 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालायें एवं राज्य मुख्यालय पर राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित हैं, जिनमें पेयजल स्त्रोतों के नियमित जल परीक्षण किये जाते हैं ।

- जिला एवं उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं में प्रतिमाह 300 जल नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है।
- भारत सरकार द्वारा जल की पीने के लिये उपयुक्तता के ऑकलन हेतु 14 घटकों का परीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। ये घटक हैं – 1. मटमैलापन, 2. पी.एच., 3. रंग 4. हार्डनैस 5. क्लोराइड, 6. क्षारीयता, 7. टी.डी.एस, 8. फ्लोराइड, 9. आयरन, 10. नाईट्रेट, 11. सल्फेट, 12. मैंगनीज, 13. कॉलीफार्म 14. ई–कोलाई परीक्षण।
- इन प्रयोग शालाओं द्वारा वर्ष 2015–16 में 309694 जल नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से लगभग 211765 पानी के नमूनों की जॉच मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई ।
- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त जल नमूनों का प्रति परीक्षण किया जाता है, साथ ही यहाँ सीवेज, जल उपचार में उपयोग में लाये जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता एवं पेयजल के उपचार संबंधी परीक्षण भी किये जाते हैं। यहां पर विभागीय रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों के लिये जल परीक्षण संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2015–16 में दिसम्बर 2015 तक राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा 1475 जल नमूनों का परीक्षण किया गया।

फील्ड टेस्ट किट का प्रशिक्षण एवं वितरण, जिला मण्डला

- वर्ष 2015–16 में 14000 पेयजल स्त्रोतों का स्वच्छता निरीक्षण किया गया, जिससे पेयजल स्त्रोतों के उचित रखरखाव में सहायता मिली ।

विकासखण्ड बैरसिया जिला भोपाल में सरपंच, सचिव एवं मैदानी कार्यकर्ताओं को विभागीय योजनाओं से अवगत कराते हुए फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पेयजल गुणवत्ता का प्रशिक्षण

एफ.टी.के का प्रशिक्षण एवं वितरण करते हुए जिला सलाहकार एवं विकासखण्ड समन्वयक, जिला सिवनी

महिला ऑंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विकास खण्ड स्तर पर पेयजल नमूनों का परीक्षण फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से दिया गया प्रशिक्षण, विकासखण्ड सांवेर, जिला इन्दौर

- वर्ष 2015–16 में जल सहायता संगठन द्वारा जिले एवं उपखण्ड स्तर पर स्थापित प्रयोगशालाओं में कार्यरत् रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला सहायकों के संभाग (कमिश्नरी) मुख्यालयों तथा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये। इन प्रशिक्षणों में 366 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित कराया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोगशाला कार्यों का डाक्युमेन्टेशन, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं उपकरणों के संचालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया ।

ऑंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विकास खण्ड स्तर पर पेयजल नमूनों का परीक्षण फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से दिया गया प्रशिक्षण, विकासखण्ड सांवेर, जिला इन्दौर

6. भाग – छः

6.1 विभागीय प्रकाशन से सम्बन्धित जानकारी :–

विभाग द्वारा पेयजल स्त्रोतों के समीप साफ–सफाई, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन समय–समय पर किया जाता है, जिसे विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित किया जाता है। जिला स्तर पर भी ऐसी कार्यवाही की जाती है।

7. भाग – सात

7.1 सारांश :–

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र शासन के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013–14 से संशोधित मार्गदर्शिका लागू की गई है जिसमें प्रदत्त अधिकारों के आधार पर राज्य शासन द्वारा सभी ग्रामों/बसाहटों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से 500 मीटर की परिधि में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामों अथवा बसाहटों में अधिकतम 30 मीटर की ऊँचाई या निचाई पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था हेतु सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराया जाना तय किया गया है।

ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रायः सभी योजनाएं भूगर्भीय जल स्त्रोतों पर आधारित हैं किंतु भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूगर्भीय जल की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है, विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में अनेकों क्षेत्रों में नलकूपों में जल स्तर नीचे जाने के कारण पानी की कमी की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पेयजल स्त्रोतों के पुनर्भरण संबंधी कार्य भी विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। इसी प्रकार, कठिनाई वाले क्षेत्रों में, जहां भूगर्भीय जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उन क्षेत्रों में व्यवहार्यता के आधार पर, समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन भी विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है जो सतही स्त्रोतों पर आधारित होंगी तथा जल शुद्धिकरण के उपरांत जल वितरण प्रणाली के माध्यम से ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

विभाग द्वारा गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की सभी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं एवं इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है तथा प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को करने का प्रयास किया जा रहा है।

विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों को पेयजल गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिये गये हैं कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड टेस्ट किट्स् प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध कराए गये हैं एवं पंचायत स्तर पर ही पेयजल के सभी स्त्रोतों की गुणवत्ता के परीक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी विभागीय उपखंडों में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं जिससे पेयजल गुणवत्ता परीक्षण कार्य को और प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

इस प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

मध्यप्रदेश-जल

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2015—16

1. भाग – एक

1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक– एफ16–149/ 2012/2/34 भोपाल दिनांक 06 जून 2012 द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया, जिसका पंजीयन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 9 जुलाई, 2012 को ''मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित'' के नाम से किया गया। मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित की अधिकृत अंशपूंजी रु. 100.00 करोड़ है।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्त्रोत आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्धता संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1.2 विभागीय संरचना

संचालक मण्डल

1.	माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ाासन	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं आवास पर्यावरण विभाग	उपाध्यक्ष
3.	माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	उपाध्यक्ष
4.	माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	उपाध्यक्ष
5.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश ाासन	उपाध्यक्ष
6.	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	संचालक
7.	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग	संचालक
8.	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	संचालक
9.	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	संचालक
10.	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	प्रबंध संचालक
11.	प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	संचालक

1.3 मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित कार्यालय

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित है। विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित) प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के अतंर्गत मैदानी कार्यालय के रूप में परियोजना क्रियान्वयन इकाईयॉ क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर में स्थापित की गई हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के कार्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों हेतु सहायक यंत्री स्तर तक के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत संख्या
1	प्रबंध संचालक	1
2	मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता)	1
3	महाप्रबंधक / उपमहाप्रबंधक (अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री)	7
4	मुख्य वित्तीय अधिकारी (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा)	1
5	महाप्रबंधक (जन सहभागिता)	1
6	महाप्रबंधक (निजी जन भागीदारी)	1
7	प्रबंधक (उप संचालक, कोष एवं लेखा)	4
8	कम्पनी सेक्रेटरी	1
9	चार्टर्ड एकाउण्टेंट	1
10	प्रबंधक (सहायक यंत्री)	12

1.4 निगम के उद्देश्य एवं कार्य

- राज्य के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक स्थान पर परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा उचित वितरण व्यवस्था के साथ वर्ष भर उपलब्ध कराना।
- शहरी / नगरीय / ग्रामों की नलजल योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन, प्राक्कलन, निविदा प्रपत्र निर्माण, निविदाएं आमंत्रण, कार्यादेश, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण।
- भू–गर्भीय तथा सतही जल संसाधनों का संयुक्त Conjunctive) उपयोग, सुनिश्चित करना।
- राज्य की ग्रामीण नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पेयजल समितियों के गठन, उनमें जल के प्रति सामाजिक तथा पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में सहयोग प्रदाय करना।
- नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले जल मल के निकास एवं उपचार की योजनाओं का आकल्पन एवं क्रियान्वयन करना।
- उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बाहय सहायता एवं ऋण सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, जिसमें ऋण भी शामिल होगा, की व्यवस्था करना।
- पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं से समन्वय करना।
- पेयजल प्रदाय योजनाओं एवं जल मल निकास योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित नीतिगत निर्णय हेतु राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

2. भाग – दो

2.1 विभागीय बजट वर्ष 2015–16

राशि की उपलब्धता

1. कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा अंशपूंजी राशि रू. 40.00 करोड से बढ़ाकर रू. 100.00 करोड़ का प्रस्ताव पारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रावधानित अंश पूंजी राशि रूपये 15.00 करोड़ मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित को प्राप्त हो चुकी है।
2. भारत सरकार के पत्र क्रमांक क्यू–11050 / 20 / 2013–एग्री, दिनांक 19 / 20.09.2013 द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के लिये बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत 07 समूह पेयजल प्रदाय

योजनाओं हेतु रू. 252.47 करोड की राशि अनुमोदित की गई है। वर्ष 2015–16 में राशि रू. 11.00 करोड़ प्राप्त हुई, जो व्यय की गई।

2.2 योजनाओं हेतु ऋण

1. ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (RIDF-XIX) अंतर्गत 19 समूह जल प्रदाय योजनाए लागत रु. 1065.15 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 905.36 करोड़ एवं राज्यांश रू. 159.79 करोड़ है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि–(RIDF-XX) अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 06 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रू. 47692.17 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 39414.26 लाख एवं राज्यांश राशि रू. 8277.92 लाख है।

   इस प्रकार आर. आई.डी.एफ. अंतर्गत अब तक कुल 25 समूह जल प्रदाय योजनाए लागत रू. 1542.07 करोड़ की स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत कुल ऋण राशि रू. 1299.50 करोड़ एवं राज्यांश रू. 242.57 करोड़ है।

2. वर्ष 2015–16 में नाबार्ड (RIDF-XXI) अंतर्गत 3 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रू. 184.66 करोड़ के प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु नाबार्ड को प्रेषित किये गये हैं।

3. वर्ष 2015–16 में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिनांक 15.01.2016 तक राशि रू. 33158.00 लाख का व्यय हुआ।

3. भाग – तीन

3.0 समूह जल प्रदाय योजनाएं

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्त्रोतों पर आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रस्तावित योजनाओं का चयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया गया है।

3.1 नाबार्ड द्वारा RIDF अंतर्गत कुल 25 समूह जल प्रदाय योजनाओं हेतु ऋण की स्वीकृति प्रदाय की गई है जिनमें से 16 योजनाओं के कार्यादेश जारी कर क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है एवं कार्य प्रगतिरत है। शेष 09 योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3.2 बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत कुल 07 समूह जल प्रदाय योजनाऐं स्वीकृत है, जिनमें से 03 योजनाओं का क्रियान्वयन कार्य प्रगतिरत् है तथा शेष 04 समूह जल प्रदाय योजनाओं को पुनरीक्षित किया जा रहा है।

3.3 वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 59 समूह जल प्रदाय योजनाओं के स्टेज–•• प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 38 योजनाओं की डी.पी.आर. तकनीकी कन्सलटेंटों के माध्यम से तैयार कराई गई है एवं 35 समूह जल प्रदाय योजनाओं का सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगतिरत है।

3.4 समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बाह्य वित्तीय सहायतित परियोजनाओं अन्तर्गत विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना द्वितीय चरण अंतर्गत सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव राशि रु. 2200.00 करोड़ भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को प्रेषित किया गया।

3.5 समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बाह्य वित्तीय सहायतित परियोजनाओं अन्तर्गत जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (JICA) से वित्तीय सहायता का प्रस्ताव राशि रु. 2200.00 करोड़ आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जायका को प्रेषित किया गया।

3.6 समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बाह्य वित्तीय सहायतित परियोजनाओं अन्तर्गत BRICS, New Development Bank (NDB) and Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) से ऋण प्रस्ताव राशि रू. 10000.00 करोड़ आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

4. भाग – चार

4.1 प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ :

- समूह जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली ग्रामों के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों में समूह जल प्रदाय योजनाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ग्रामों में प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्धन गतिविधियों का क्रियान्वयन जल सहायता संगठन के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।
- क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के ग्रामों में ''मध्यप्रदेश ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण नियम–2015'' के अनुसार पेयजल उपसमितियों का गठन किया जा रहा है।

विभाग द्वारा किए जा रहे सिंहस्थ कार्यों का निरीक्षण माननीय सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अधिकारियों के साथ किया गया।

मरदानपुर समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन जल शुद्धिकरण संयंत्र।